हम सबला

जागोरी 2021
विशेषांक

हम सबला

यह पत्रिका सामाजिक सुरक्षा के सभी दावेदारों को समर्पित है।

संकल्पना और विषय सामग्रीः अमृता ठाकुर, जया वेलणकर, कैलाश, नेहा प्रसाद, उर्मिला, नोरती, श्रुति बत्रा, सुनीता ठाकुर, सरिता बलूनी

चित्रांकन व लेआउटः महावीर व ऐश्वर्या अशोक

हम मिताली निकोर और गितिका मल्होत्रा के बहुमूल्य योगदान के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

पत्रिका के संयोजन में हमारे साथी मधु बाला, अर्शिता कश्यप, उषा, हीरावती, रिचा जयराज के सहयोग का धन्यवाद करते हैं।

प्रकाशनः जागोरी (2021)

सीमित वितरण के लिए

सहयोगः ब्रेड फ़ॉर द वर्ल्ड–प्रोटेस्टंट डेवेलपमेंट सर्विस और मिज़ेरियो

मुद्रणः

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017
फ़ोनः 011 26691219/26691220 हैल्पलाइनः 011 26692700, 8800996640
फ़ैक्सः 011 26691221 ईमेलः jagori@jagori.org,
www.jagori.org, www.safedelhi.in, www.livingfeminisms.org

विषय सूची

अपनी बात..... 4

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पर एक नज़र 7
- विकलांग पेंशन योजनायें–दिल्ली सरकार 9
- वृद्धावस्था पेंशन योजना–दिल्ली सरकार 10
- केस स्टडी–पिंकी–विकलांग पेंशन 11
- विमेन इन डिस्ट्रेस–दिल्ली सरकार 12
- विधवा पेंशन–हरियाणा सरकार 12
- केस स्टडी–मोसोमात विलास देवी–विधवा पेंशन योजना 14
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना–केन्द्र 15
- एसिड विक्टिम राहत योजना–हरियाणा 15
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना–झारखण्ड 16
- केस स्टडी–रेणु–उज्जवला योजना 17
- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वालंबन योजना–झारखण्ड 18
- प्रधानमंत्री जनधन योजना–केन्द्र 18
- प्रधानमंत्री आवास योजना–केन्द्र 20
- केस स्टडी–उर्मिला–प्रधानमंत्री आवास योजना 22
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना–हरियाणा 23
- भीमराव अंबेडकर आवास योजना–झारखण्ड 24
- केस स्टडी–भाओ सबर–डाकिया योजना 25

खाद्यान्न सुरक्षा योजनाएं

- खाद्यान्न सुरक्षा योजनाओं पर एक नज़र 26
- आदिम जनजाति डाकिया योजना 27
- राष्ट्रीय भोजन/खाद्य सुरक्षा योजना 27
- अन्नपूर्णा योजना–झारखण्ड 28
- एक देश एक राशन कार्ड योजना–केन्द्र 28
- केस स्टडी– ग्लोरी बेसरा–खाद्यान्न सुरक्षा योजना 30

स्वास्थ्य योजनाएं

- स्वास्थ्य योजनाओं पर एक नज़र 31
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना–केन्द्र 33
- केस स्टडी–चांदनी–मातृ वंदना योजना 35
- जननी सुरक्षा योजना–केन्द्र 36
- आयुष्मान भारत–केन्द्र 37
- केस स्टडी–सोनी देवी–जननी सुरक्षा 38
- किशोरी शक्ति योजना–केन्द्र सरकार 39
- महिला एवं किशोरी सम्मान योजना–हरियाणा 39
- दिल्ली आरोग्य निधि–दिल्ली 40

रोजगार योजनाएं

- रोजगार योजनाओं पर एक नज़र 41
- महिला समृद्धि योजना– हरियाणा 42
- तेजस्विनी योजना–झारखण्ड 43
- महिला कॉयर योजना–केन्द्र 43
- उद्यमी सखी मण्डल योजना–झारखण्ड 45
- मुद्रा योजना–केन्द्र सरकार 45
- प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना–केन्द्र 46
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना–केन्द्र 47

शिक्षा योजनाएं

- शिक्षा योजनाओं पर एक नज़र 50
- ट्यूशन फीस माफ़ी योजना–दिल्ली 51
- स्टेशनरी के लिए आर्थिक मदद–दिल्ली 52
- छात्रवृत्ति योजना–दिल्ली 53
- केस स्टडी–चंद्रकला–प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे 54
- सी.बी.एस.ई. उड़ान योजना–केन्द्र 55
- नई रोशनी योजना–केन्द्र 55
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना–केन्द्र 57
- सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना–केन्द्र 58

महिला सशक्तिकरण योजनाएं

- महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर एक नज़र 59
- लाडली बेटी योजना–दिल्ली 61
- सुकन्या समृद्धि योजना–केन्द्र 62
- केस स्टडी– जानकी–लाडली योजना 64
- वर्किंग विमेन हॉस्टल योजना–केन्द्र 65
- महिला समृद्धि योजना–हरियाणा 66
- बालिका समृद्धि योजना–केन्द्र 67
- मुख्यमंत्री लाडली येाजना–झारखण्ड 68
- सूचना का अधिकार कानून 70

अपनी बात.....

खाते में कहां से पैसा आएगा, जब खाता ही नहीं है तो! महीने भर से चक्कर लगा रही हो... खाता खोलने के बाद उसमें लेन–देन भी करना होता है। पर दो साल से तुम्हारा खाता खुला हुआ है, एक रुपया भी इधर से उधर न गया। अब कहां अब तो खाता बंद। जब खाता नहीं तो पैसा भी नहीं।' –ये कहते हुए बैंक कर्मी का भी मन पसीज गया। 63 वर्षीय रमा (परिवर्तित नाम) ने जब से सुना था कि जनधन योजना में सरकार ने सबके खाते में पांच सौ रुपये डाले हैं, उसके जान में जान आई कि चलो महामारी के इस दौर में कुछ दिन तो काम चल जाएगा। वह पिछले एक महीने से लगातार बैंक के चक्कर लगा रही थी। रमा और उसकी बीमार बेटी के लिए यह पांच सौ रुपये हज़ारों रुपये के बराबर थे। खाना तो वह बगल के स्कूल से ले आती थी, लेकिन खर्चे तो और भी हैं न! ऊपर से बीमार बेटी, उसके लिए दवा का इंतज़ाम। दवा भी तभी असर करेगी जब पेट भरा हो। तीन साल पहले ही उसके इलाके की और दूसरी औरतें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहीं थीं तो रमा ने भी खुशी–खुशी खाता खुलवाया, लेकिन उसके बाद कभी इतने पैसे नहीं हुए कि बैंक में जमा करवाती। फिर उसे किसी ने बताया भी तो नहीं न कि खाता खुलवाने के बाद खाते को चालू रखने के लिए लेन–देन ज़रूरी है। पता होता तो शायद कुछ खींच तान कर बैंक में डाल ही देती, तब तो हाथ में काम भी था। असल में यह घटना किसी एक रमा की नहीं है, इस जैसी सैंकड़ों रमा की है जिन्हें ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं मिला, ख़ासतौर पर उस समय में भी जब उनके लिए एकमात्र सहारा यह योजनायें ही थीं। जबकि सरकार की योजनाओं का लक्ष्य यही हाशिए पर पड़ा वर्ग होता है। भारत जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में अपनी योजनाओं, नीति या कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना किसी भी सरकार की मुख्य ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर ये योजनायें केवल कागज़ों पर लिखे दस्तावेज ही बन कर रह जाते हैं, जिन तक यह योजनाएं पहुंचनी चाहिए, पहुंच नहीं पाती हैं। क्रियान्वयन में दस तरह की ख़ामियां, लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष कोशिशों का अभाव, सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल का न होना, योजनाओं के लिए ऐसी शर्तें रख देना जिसे पूरा करना कई बार आवेदक के लिए मुश्किल हो जाता है या पूरी प्रक्रिया को ही इतना जटिल बना देना कि लोगों को लगने लगे कि कौन इस झंझट में पड़े।

जागोरी का काम दिल्ली, झारखण्ड, हरियाणा के समुदायों के साथ है, वहां उसे अक्सर यह देखने में आता है कि समुदाय में बड़ी संख्या में लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है। अगर मीडिया या किसी दूसरे माध्यम से यह जानकारी उन तक पहुंचती भी है तो वह ऐसी भाषा में पहुंचती है, जिसे वे ठीक तरीके से समझ नहीं पाते या आधी–अधूरी जानकारी पहुंचती है। उस जानकारी के आधार पर जब लोग इन योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश भी करते तो आवेदन की प्रक्रिया के दौरान ही कई तरह की दस्तावेजी खामियों के कारण योजना के लिए वे पंजीकृत नहीं हो पाते। कई बार वे खुद ही आवेदन की प्रक्रिया की मांगों को पूरा करते हुए इतना थक–हार जाते कि उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। इन योजनाओं के प्रति एक तरह की उदासीनता भी देखने में आती है, जैसे कि उन्हें यह उम्मीद ही नहीं कि उन्हें योजना के माध्यम से सरकार की तरफ़ से किसी भी तरह का लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी और लॉक डाउन के दौरान इस तरह के कई उदाहरण ज़्यादा खुल कर सामने आये।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2020 तक जनधन योजना के तहत कुल 40.63 करोड़ खाते थे। इनमें से 22.44 करोड़ खाते महिलाओं के और 18.19 करोड़ खाते पुरुषों के थे जिनमें से छह करोड़ से ज़्यादा खाते ऐसे थे, जिनमें एक भी पैसा नहीं था यानी निष्क्रिय थे। कोरोना और लॉक डाउन के दौरान केन्द्र सरकार ने उस समुदाय को जो इस विशेष परिस्थिति में आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, राहत के तौर पर 500 रुपये तीन महीने तक जनधन खाते में देने की घोषणा की। जागोरी ने अपनी स्टडी में पाया कि कई महिलाओं को इसका लाभ भी मिला, लेकिन बड़ी संख्या में महिलायें इसका लाभ कुछ तकनीकी कारणों से नहीं ले पाईं, जैसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट या जनधन खाता उनके नाम पर नहीं होना। कारण पूछने पर बताया गया कि उनके नाम पर पहले से ही दूसरे बैंक में खाता खुला हुआ था तो उन्हें दूसरा खाता खोलने की ज़रूर नहीं लगी। कुछ महिलाओं ने जनधन खाता खुलवा तो लिया क्योंकि खाता खुलवाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस खाता को चालू रखने के लिए उसमें पैसे की जमा–निकासी ज़रूरी थी, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे इस वज़ह से खाता बंद हो गया। कई महिलायें हर तीसरे दिन बैंक में जाकर अपना खाता देख आतीं कि उसमें पैसा आया है कि नहीं, पर अक्सर उन्हें निराशा ही मिलती। कभी उन्हें पता चलता कि आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं है तो कभी और कुछ वज़ह पता चलती। ऐसा ही कुछ उज्जवला योजना में भी नज़र आया, कुछ महिलाओं ने उज्जवला योजना के तहत गैस नहीं लिया था, क्योंकि उनके घर में पहले से गैस कनैक्शन था। कुछ महिलायें ऐसी थीं जो संयुक्त परिवार में रह रही थीं, उस परिवार से एक महिला के नाम पर गैस सिलेंडर था

तो दूसरी के नाम पर नहीं बन पा रहा था। वजह यह बताया गया कि दूसरी महिला के नाम पर बी.पी.एल. कार्ड नहीं है। कई बच्चे आर्थिक तंगी की वज़ह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी नहीं होती। जागोरी ने इसी तरह की समस्याओं से समुदाय को जूझते हुए अपने हेल्प डेस्क के दौरान भी देखा। जागोरी के हेल्प डेस्क पर भी पेंशन, राशन कार्ड जनधन, लेबर कार्ड, लाडली योजना आदि से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। जागोरी को लगातार यह महसूस हो रहा था कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी समुदाय तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।

जागोरी जिन राज्यों व इलाकों में काम करती है वहां के समुदायों की महिलाओं तक इन सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाती रहती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इन योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में लिखित दस्तावेज के रूप में होना ज़रूरी है ताकि लीडर महिलायें इन जानकारियों को न केवल खुद के लिए हासिल करें, बल्कि इन जानकारियों को लेकर आगे बढ़ें और पूरे समुदाय में फैलायें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमने इस पत्रिका में योजनाओं को केवल तीन राज्यों–दिल्ली, हरियाणा व झारखण्ड के अलावा केन्द्र सरकार की मुख्य योजनाओं तक ही सीमित रखा है। उन सवालों को आधार बना कर योजना से जुड़ी यह पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जो योजना का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। साथ ही पाठ्य सामग्री को बेहद सरल आम बोलचाल की भाषा में रखने की कोशिश की गई है और उन केस स्टडी को भी इनमें शामिल किया गया है जो योजनाओं का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से स्पष्ट करती है।

जानकारी के साथ–साथ हम चाहते हैं कि अभी तक इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुंच पाया है, इन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हुआ इसके बारे में भी पता चले। ये सारी कल्याणकारी योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च मुख्य तौर से जनता से ही विभिन्न करों या टैक्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि जनता का यह धन जनता के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं पर ठीक तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। इन योजनाओं के लाभों को आम जनता तक पहुंचाना हर लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है। ये सारी योजनाएं हमारा हक़ है, मेहरबानी नहीं। इस पत्रिका में मिताली निकोर जो एक नारीवादी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने और उनकी साथी गीतिका मल्होत्रा ने हर अध्याय के शुरुआत में योजनाओं पर अमल कैसे हो रहा है, इस पर एक नारीवादी नज़रिया भी प्रस्तुत किया है। उम्मीद है 'हम सबला ' का यह अंक अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए योजनाओं से जुड़ी जानकारी को लोगों तक पहुंचायेगा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: एक नज़र.....

भारत तेजी से उन्नति करने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वे सभी सामाजिक संकेतक जैसे गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूख, स्वच्छता जिन्हें आधार बना कर उस देश के मानव विकास को मापा जाता है, उनमें बहुत पीछे है। मानव विकास सूचकांक 2020 में कुल 189 देशों में से भारत 131वें स्थान पर है। वर्ष 2012 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल भारतीय आबादी का 22 प्रतिशत अभी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। खासतौर पर 50 लाख लोग जो हर साल बुजुर्ग आबादी में परिवर्तित हो रहे हैं, उनके लिए गरीबी सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 4 प्रतिशत भारतीय परिवार स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने की खींचतान में गरीबी के शिकार हो जाते हैं। इस तरह भारत की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अपनी पहुंच को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रभावी डिज़िटलीकरण इसे बढ़ाने में सहायता कर सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजनाः केन्द्र सरकार ने गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, सरकार ने वर्ष 2022 तक दो करोड़ किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट 2021–22 में, इस योजना के लिए 27,500 करोड़ रुपए तय किये गए। इस योजना के अंतर्गत् अभी तक लगभग 1.6 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है और जिसकी वज़ह से निर्माण और उससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। नतीजन इस योजना के शुरू होने के पांच साल के अंदर ही 1.65 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। योजना पर लगातार नज़र रखने के लिए सरकार ने एक वेब आधारित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली की स्थापना की, जिसे सी.एल.एस. आवास पोर्टल (सी. एल.ए.पी.) के रूप में जाना जाता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजनाः केन्द्र सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की भी स्थापना की है। इस योजना के माध्यम से सरकार का, 12 करोड़ निम्न आय–वर्ग के लोगों का बैंक खाता खोलने, बैंकिंग साक्षरता बढ़ाने और जमा की हुई राशि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस योजना के शुरू होने के छह साल बाद यानी वर्ष 2020 तक 40:35 करोड़ जनधन खाता खुले, जिसमें से वर्तमान में लगभग 86 प्रतिशत खाते चालू हैं। खुले हुए इन जनधन खातों में से 55 प्रतिशत महिलाओं के हैं और 64 प्रतिशत गांव में रहने वाले लोगों के हैं। जनधन खातों के तहत कुल जमा शेष राशि अगस्त 2016 तक 1.31 लाख करोड़ रुपए है। सरकार ने 'जनधन दर्शक एप्प' को भी लॉन्च किया है, जो पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले उन गांवों की पहचान करेगा, जहां बैंकिंग व्यवस्था नहीं है और उन्हें बैंकिग व्यवस्था से जोड़ने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 1995 में शुरू की गई यह योजना, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पांच योजनाएं शामिल हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2021–22 के बजट में 6,200 करोड़ रुपए तय किए गए। कोविड–19, के पहले महीने में, इस योजना के अंतर्गत् 1 हज़ार करोड़ रुपए लगभग 93 लाख लाभार्थियों को दिए गए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की, जो 40 से 59 आयु वर्ग की गरीब विधवा

महिलाओं को जीवन यापन के लिए हर महीने आर्थिक मदद करती है। बजट 2021–22 में इसे 1,930 रुपए तय किया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18–59 आयुवर्ग के विकलांगों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। महामारी के पहले महीने में लगभग 27 करोड़ की राशि दो लाख लाभार्थियों को दी गई। बजट 2021–22 में इस योजना के लिए 295 करोड़ रुपए तय किए गए।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार लगातार, हाशिए में रह रहे लोगों को बेहतर देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के प्रयास में लगी हुई है। दिल्ली सरकार अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं को 'विमेन इन डिस्ट्रेस' और विकलांगों को 'विकलांग पेंशन के तौर पर, हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अपने बजट 2021–22 में, दिल्ली सरकार ने 2,520 रुपए की राशि 8.12 लाख लाभार्थियों को हर महीने दिए जाने वाले आर्थिक मदद की योजना के लिए तय किए, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, विमेन इन डिस्ट्रेस और विकलांग लोग शामिल हैं। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 के अनुसार 4.49 वरिष्ठ नागरिक, 2.75 लाख विमेन इन डिस्ट्रेस और 1.06 लाख विकलांग लोगों को वर्ष 2020–21 में मासिक आर्थिक मदद दी गई। इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रखी हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 1980–81 में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए, जिन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, पेंशन योजना शुरू की थी। वर्ष 2019–20 के लिए, 7 लाख से अधिक महिलाओं (सितंबर 2019 तक) को पेंशन प्रदान करने के लिए 843 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2019–20 में योजना के लिए तय 20 लाख रुपए में से, 1.87 लाख का उपयोग सितंबर 2019 तक किया गया था। वर्ष 2020 में हरियाणा ने देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम– 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' की शुरूआत की। यह योजना राज्य के पात्र परिवारों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ और पारिवारिक भविष्य निधि के रूप में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

झारखण्ड सरकार भी, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत, 18 वर्ष से ऊपर की आयु की सभी विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान करती है। झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार, इस योजना के तहत 1.58 लाख विधवाओं को पेंशन मिली। पांच वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र के शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की आर्थिक मदद के लिए, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में मासिक वजीफ़ा का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत 1.70 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा झारखण्ड में एच.आई.वी./एड्स प्रभावित व्यक्तियों के लिए, राज्य पेंशन योजना है जो एच.आई.वी./एड्स प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करती है। झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार, 2,630 लोग इस योजना के तहत आते हैं। अंत में, एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में झारखण्ड ने, आठ ऐसी जनजातियां जिनकी स्थिति, विकास के नज़रिए से बहुत पीछे है, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आदिम जनजाति पेंशन योजना की शुरूआत की है। राज्य में इस योजना के तहत 45,052 लाभार्थी हैं।

उज्जवला योजनाः केन्द्रीय सरकार ने 2016 में ख़ासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की, ताकि घरों तक गैस सुविधा पहुंच सके और महिलाओं को लकड़ी या कोयले के चूल्हों का इस्तेमाल न करना पड़े। इस योजना का मकसद धुएं से होने वाले प्रदूषण और उसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को सीमित करना है। इस योजना ने 99.5 प्रतिशत एल.पी.जी. कवरेज प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवंबर 2020 तक तेल विपणन कंपनियों (ओ. एम.सी.) ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 14.13 करोड़ के गैस की आपूर्ति की; जबकि 8 करोड़ से भी ज़्यादा बी.पी.एल. उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत (दिसंबर 2020 तक) लाभ लिया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

विकलांग पेंशन योजना

दिल्ली सरकार

वे व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है और उनकी विशेष शारीरिक या मानसिक ज़रूरतें हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो वे शारीरिक या मानसिक स्तर पर विकलांग हैं, उनके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलती है।

विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की शर्तें:

व्यक्ति (महिला, पुरुष व अन्य) की उम्र 60 वर्ष से कम हो।

* विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
* विकलांगता प्रमाण पत्र हो।
* आवेदन की तारीख से दिल्ली में 5 साल से रह रहा हो।
* परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम हो।
* आवेदक के पास आधार कार्ड हो।
* बैंक में खाता हो। (संयुक्त खाता या ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। केवल अवयस्क के मामलों में संयुक्त खाता मान्य हो सकता है।)
* राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की दूसरी कोई आर्थिक सहायता न मिलती हो।

विकलांग पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया:

- आवेदन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन इन दो तरीकों से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए edistrict.delhigovt.nic.in वेबसाईट में जाकर फ़ॉर्म भरकर जमा किया जा सकता है।
- ऑफ़लाइन के लिए विकलांग पेंशन का फ़ॉर्म भरकर समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- इस योजना के लिए कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

आवदेन के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» अस्पताल द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक दी हो।

» केवल मानसिक विकलांगता की स्थिति में अभिभावक होने का प्रमाण पत्र।

» आयु प्रमाण पत्र

» निवास प्रमाण (5 साल से दिल्ली में रहने का)

» एकल बैंक खाता, अवयस्क की स्थिति में संयुक्त खाता (ज्वाइंट अकाउंट) मान्य है।

» एक फ़ोटो

» आय का स्व–घोषणापत्र (सेल्फ़ अटेस्टेड)

» यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में, 5 साल पहले किसी अन्य जगह पर रहता था, पर अब दिल्ली में ही किसी अन्य जगह में रह रहा है तो उसे 5 साल पहले रहने वाली जगह का ऊपर दिये किसी भी एक दस्तावेज को देना होगा और साथ में अभी वर्तमान में जिस जगह वो रह रहा है उसका भी उन्हें ऊपर दिये गये किसी एक दस्तावेज को देना होगा।

» आवेदन प्राप्ति के लगभग 45 दिनों में पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन ख़ास स्थिति में कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है।

» विकलांग पेंशन के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन योजना
दिल्ली सरकार

ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। वृद्धावस्था पेंशन में हर महीने 60–69 वर्ष के बुजुर्गों को 2000 रुपए और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन की शर्तें:

* व्यक्ति (महिला, पुरुष व अन्य) की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
* आवेदन की तारीख़ से दिल्ली में 5 साल से रह रहा हो।
* परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम हो।
* आवेदक के पास आधार कार्ड हो।
* बैंक में खाता हो। (संयुक्त खाता नहीं होना चाहिए)
* राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग से किसी भी तरह की दूसरी आर्थिक सहायता न मिलती हो।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया:

- आवेदन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन इन दो तरीकों से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए www.edistrict.delhigovt.nic.in वेबसाईट में जाकर फ़ॉर्म भरकर जमा किया जा सकता है।
- ऑफ़लाइन के लिए वृद्धावस्था पेंशन का फ़ॉर्म भरकर समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

आवदेन के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» आयु प्रमाण
» निवास प्रमाण (5 साल से दिल्ली में रहने का)
» एकल बैंक खाता
» एक फ़ोटो
» आय का स्व–घोषणा पत्र (सेल्फ़ अटेस्टेड)
» यदि कोई अनुसूचित जाति/जनजाति या अल्पसंख्यक है तो उसका प्रमाण पत्र।

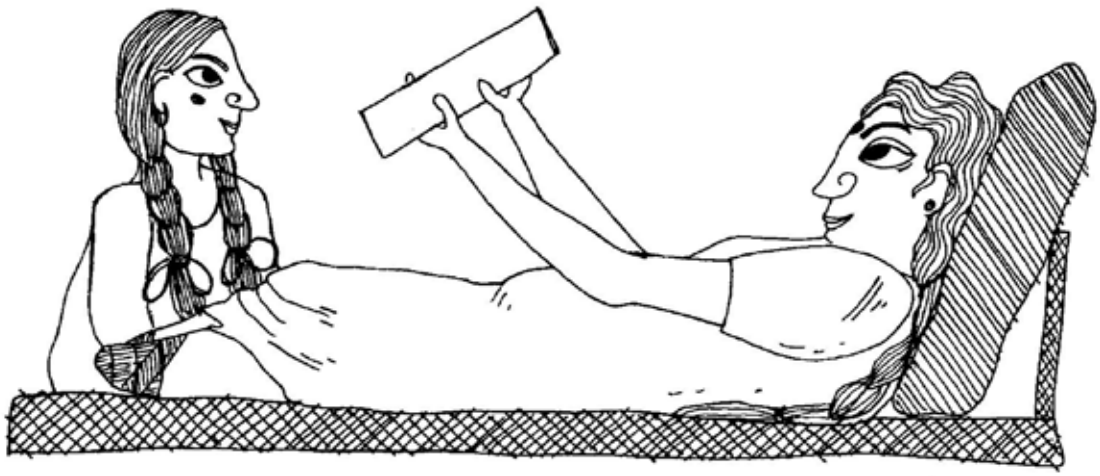

केस स्टडी

नामः पिंकी

उम्रः– 35 वर्ष

जातिः अनुसूचित जाति (एस.सी.)

धर्मः हिन्दू

पताः डी ब्लॉक, बिलासपुर कैम्प, बदरपुर।

योजना के लिए आवेदन की तारीखः– अप्रैल, 2014

योजना का लाभ मिलने की तारीखः– नवम्बर, 2015

विकलांग पेंशन–दिल्ली सरकार

पिंकी का जन्म मोलड़बंद बदरपुर गांव में हुआ है। बचपन से किसी गम्भीर बीमारी के कारण पिंकी दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है। वर्तमान में पिंकी शादीशुदा महिला है, उनके तीन बच्चे हैं। पिंकी को आर्थिक रूप से बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था, जब उसे विकलांग पेंशन जैसी सरकार की योजना के बारे में जानकारी मिली। उसने जानकारी एकत्र करके विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करने का फैसला किया। वैसे तो पिंकी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, पर विकलांगता प्रमाण पत्र, जो कि इस योजना के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज है, वो पिंकी के पास नहीं था। पिंकी को सबसे पहले अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाना था, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती थी। विकलांग प्रमाण पत्र के लिए वह मदन मोहन अस्पताल, मालवीय नगर पहुंची। वहां पिंकी के पूरे शरीर की जांच हुई और उसे एक महीने बाद विकलांगता प्रमाण पत्र मिल गया। विकलांगता प्रमाण पत्र लेने में पिंकी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके बाद विधायक कार्यालय से विकलांग पेंशन का फ़ॉर्म भरवा कर और उसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों को लगाया ।

अगले ही दिन अपने सभी दस्तावेजों को लेकर पिंकी समाज कल्याण विभाग ऑफ़िस, लाजपत नगर पहुंची। समाज कल्याण विभाग के ऑफ़िस में लम्बी लाईन लगी थी। लाईन में लगे–लगे सुबह से शाम हो चुकी थी और आख़िरकार उसका का नम्बर आ ही गया। पिंकी ने अपना फ़ॉर्म जमा कराया। वैसे तो आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, पर तीन महीने से अधिक हो गया था, पर पिंकी का पेंशन चालू नहीं हुई। वह हर महीने बैंक जाती और बैंक पासबुक में एंट्री कराती; इस उम्मीद से कि शायद पेंशन अब चालू हो गई हो। छह महीने बीत गये पर पिंकी को विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली। वह अपने तीनों बच्चों को घर पर अकेले छोड़ कर फिर समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंची। काउंटर पर बैठे अधिकारी ने पिंकी को बताया कि उन्होंने आवेदन के दौरान पति का बैंक खाता लगाया है, उन्हें ख़ुद के नाम का बैंक खाता देना होगा। पिंकी के नाम से बैंक खाता नहीं था, पर स्कूल में बेटी के साथ उसका खाता था (ज्वाइन्ट अकाउंट) पिंकी ने उसी बैंक खाते के विवरण को समाज कल्याण विभाग में जमा करा दिया। अंततः नवम्बर 2015 को पिंकी की भागदौड़ और मेहनत सफल हुई। पिंकी को पहली विकलांग पेंशन 2500 रुपए की मिली। इसे पाकर पिंकी बहुत ही खुश थी।

विमेन इन डिस्ट्रेस (विधवा पेंशन) योजना

दिल्ली सरकार

समाज कल्याण विभाग के अनुसार विमेन इन डिस्ट्रेस में विधवा महिला/तलाकशुदा महिला/पति से अलग रह रही महिला/जिस महिला के परिवार में कोई न हो, इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता पेंशन के तौर पर एकल महिलाओं को दी जाती है।

विधवा पेंशन योजना के आवेदन की शर्तें:

* विधवा महिला/तलाकशुदा महिला/पति से अलग रह रही महिला/जिस महिला का भरण पोषण करने वाला कोई न हो।
* दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष से निवासी हो।
* 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु हो।
* महिला/परिवार की सालाना आय 60 हज़ार से कम हो।
* बैंक खाता हो।
* किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रही हो।

आवदेन के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» आधार कार्ड
» निवास प्रमाण (दिल्ली 5 वर्ष से रहने का प्रमाण)
» आयु प्रमाण पत्र
» आय प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा घोषणापत्र)
» पति के मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु
» प्रमाण पत्र/तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी तलाकनामे की कॉपी/पति के गुमशुदा होने की स्थिति में थाने में दर्ज एफ़.आई.आर. की कॉपी, पति से अलग रहने की स्थिति में दिल्ली महिला आयोग में दर्ज शिकायत की फ़ोटो कॉपी या कोई भी दस्तावेज जो यह दिखाता हो कि महिला अपने पति से अलग रहती है। इनमें जो भी लागू हो,
» जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है तो)।

पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया:

- आवेदन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन इन दो तरीकों से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए www.edistrict.delhigovt.nic.in वेबसाईट पर आवेदन किया जा सकता है।
- ऑफ़लाइन के लिए विधवा पेंशन फ़ॉर्म भरकर महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर जमा किया जा सकता है।

विधवा पेंशन योजना

हरियाणा सरकार

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। पेंशन के रूप में उनके भरण–पोषण के लिए हर महीने 1600 रुपए की आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। विधवा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक राहत सीधे विधवा महिला के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी।

इस योजना के आवेदन की शर्तें:

* इस योजना में केवल विधवा महिलाओं को ही पात्र माना जाएगा।
* विधवा महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
* यदि पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला दोबारा शादी कर लेती हैं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* यदि महिला के बच्चे नहीं हैं या वे उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं तो महिला को विधवा पेंशन प्राप्त होगी।

* यदि कोई विधवा महिला वयस्क नहीं है, 18 साल से छोटी है तो वह पेंशन पाने की हक़दार नहीं होगी।
* महिला का बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है।
* बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवदेन के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» बैंक खाता पासबुक
» आधार कार्ड
» पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
» निवास प्रमाण पत्र
» आय प्रमाण पत्र
» आयु प्रमाण पत्र
» मोबाइल नंबर
» पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

आवेदन की प्रक्रियाः

- इस योजना के तहत आप ऑफ़लाइन आवेदन कर सकती हैं।
- अपने इलाके के विधायक, एम.सी.डी. काउंसलर के पास अपना आवेदन कर सकती हैं।

ऑफ़लाइन आवेदन के लिएः

- आपको राज्य की ऑफ़िशियल वेबसाईट पर जाना होगा।
- होम पेज खुलने के बाद आपको वहां विधवा पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने पर अगले पेज पर 'अप्लाई नाउ' के विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
- ऐसा करने पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म दिखाई देगा, आपको इसमें दिए गए सभी विवरण भरने हैं।
- विवरण भरने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस तरह पेंशन के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाता है।

केस स्टडी

नामः मोसोमात विलास देवी

प्रखंड पंचायतः कालाद्वार

ग्रामः कालाद्वार

योजनाः विधवा पेंशन, झारखण्ड

मोसमात विलास देवी के पति की वर्ष 2017 में राजकोट से कोडरमा आने के दौरान ट्रेन से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनके दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और एक बेटी की शादी हो गई है। विलास मज़दूरी, बकरी पालन और थोडा बहुत खेतीबाड़ी से, बच्चों की पढ़ाई के साथ अपना घर – परिवार चला रही हैं। विलास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। विलास ने 2018 में विधवा पेंशन का आवेदन मुखिया जी से अटेस्ट करवाकर प्रखंड कार्यालय में जमा किया। दो वर्ष तक कभी मुखिया जी के पास कभी प्रखंड कार्यालय एवं प्रखंड के अन्य कर्मचारी के पास अपना पेंशन का पता लगाती रहीं, लेकिन दो वर्षों तक आवेदन पर कुछ काम नहीं हुआ। जिनके पास जाती थी, यह कह कर उसे टाल देते थे कि आप घर जाओ आपका काम हो जाएगा। विलास दो साल तक सभी के आश्वासन के पूरा होने का इंतज़ार करती रहीं, लेकिन पेंशन नहीं मिली। तीसरे वर्ष विलास ने ग्राम सभा में अपने विधवा पेंशन की कहानी ग्राम सभा में रखी। पंचायत सेवक को ग्राम सभा के द्वारा ज़िम्मेदारी दी गयी कि जल्द से जल्द विलास को पेंशन का लाभ दिलाने का इंतज़ाम करें। कुछ ही महीने में पंचायत सेवक का ट्रांसफ़र हो गया, विलास का पेंशन का कार्य वहीं रुक गया। कुछ महीने में दूसरे पंचायत सेवक आए विलास ने नये पंचायत सेवक से मिलकर अपने पेंशन की आवेदन स्थिति के बारे में जानकारी ली। पंचायत सेवक ने कहा उन्हें विलास के आवेदन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह फिर से आवेदन करें। विलास ने 2020 में दोबारा आवेदन जमा किया, लेकिन इसके बाद भी एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर वह लगाती रही, पर उसे पेंशन नहीं मिली।

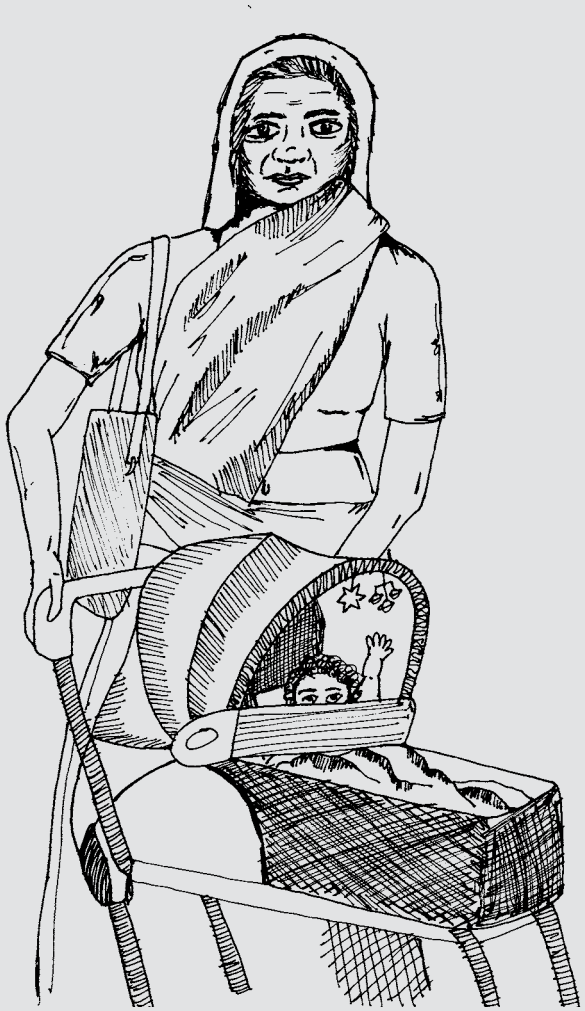

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

केन्द्र सरकार

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी/LPG गैस) कनेक्शन खरीदने के लिए 1600 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। साथ ही चूल्हा खरीदने और पहली बार एल.पी.जी. गैस सिलेंडर भराने में आने वाले खर्च को चुकाने के लिए किश्त या ई.एम.आई. की सुविधा भी दी जा सकती है।

उज्जवला गैस योजना के लिए आवेदन की शर्तें:

* साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बी.पी.एल. कैटेगरी में आता है।
* जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, वह महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है।
* आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से कम न हो।
* महिला का एक बचत खाता किसी राष्ट्रीय बैंक में होना ज़रूरी है।
* आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से कोई एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
* आवेदक के पास बी.पी.एल. कार्ड और बी.पी.एल. राशन कार्ड होना चाहिए।
* सरकार द्वारा सहायता में दी जा रही राशि महिला के खाते में ही आएगी।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बी.पी.एल. कार्ड

» बी.पी.एल. राशन कार्ड

» आधार कार्ड या वोटर कार्ड

» पासपोर्ट साइज फोटो।

» राशन कार्ड की कॉपी

» गजेटेड अधिकारी द्वारा अटेस्टेड स्व–घोषणा पत्र

» एल.आई.सी पॉलिसी या बैंक स्टेटमेंट

» बी.पी.एल. सूची में नाम का प्रिंट आउट

आवेदन की प्रकिया:

- उज्जवला का आवेदन पत्र प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं।
- आप पास के एल.पी.जी. केन्द्र से भी आवेदन फ़ॉर्म ले सकते हैं।
- उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए कोई भी महिला जिसका परिवार बी. पी.एल. कैटेगरी में आता है वह इसके लिए आवेदन कर सकती है।
- इसके लिए आपको के.वाई.सी. फ़ॉर्म भर कर नज़दीकी एल.पी.जी. केन्द्र में जमा करना होगा।
- उज्जवला में आवेदन के लिए दो पेज का फ़ॉर्म, ज़रूरी दस्तावेज नाम, पता, जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि की ज़रूरत पड़ती है।
- आवेदन करते समय आपको यह भी बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 किलोग्राम का।

एसिड विक्टिम महिलाओं व बच्चों के राहत और पुनर्वास के लिए योजना

हरियाणा सरकार

■ हरियाणा में एसिड अटैक के पीड़ितों को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। यह राशि हरियाणा में एसिड पीड़ितों के लिए प्रदान की जाने वाली तीन लाख रुपए की सहायता राशि से अलग होगी।

■ एसिड अटैक पीड़ितों का राज्य के सभी सरकारी और सरकारी पूल में शामिल अस्पतालों में मुफ़्त

इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही निजी अस्पताल भी एसिड पीड़ितों की इलाज से इंकार नहीं कर सकेंगे।

- तुरंत इलाज के लिए एफ़.आई.आर. की ज़रूरत नहीं होगी, एफ़.आई.आर. से पहले इलाज की शुरूआत की जाएगी।
- पीड़ित को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि के अलावा विकलांगता की स्थिति में 8000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

एसिड पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपायः

राज्य सरकार ने 18 साल की उम्र से ज़्यादा की एसिड पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए भी योजना बनाई है, जैसे कि राशन डिपो आदि के वितरण में एसिड पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह सहायता राशि कब और कैसे प्राप्त की जा सकती हैः

वारदात के 15 दिनों के भीतर इलाज के लिए उपायुक्त द्वारा 25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग 75 हज़ार रुपए देगा। अस्पताल में पीड़ित की दवा, इलाज से जुड़े सभी खर्चों का वहन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

झारखण्ड सरकार

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए है। परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी कमाई से परिवार का खर्च चल रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है।

योजना के लिए आवेदन की शर्तेंः

* आवदेक भारत का नागरिक हो।
* वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
* इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और परिवार में कोई कमाऊ सदस्य नहीं है।
* जिस मुखिया की मृत्यु हुई है उसकी उम्र 18–64 साल के बीच होनी चाहिए।
* इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों को प्राप्त होगा।
* आवेदक का अपना बैंक खाता होना ज़रूरी है।
* आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज :
* आधार कार्ड
* मृत्यु प्रमाण पत्र
* पहचान पत्र
* निवास प्रमाण पत्र
* आय प्रमाण पत्र
* बैंक पासबुक
* मोबाइल नंबर
* आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

आवेदन की प्रक्रियाः

- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर जाएं।
- होम पेज खुलने पर पारिवारिक लाभ योजना का फ़ॉर्म खोलें और उसमें दिए गए विवरणों को भरें।
- भरे गए विवरणों के समर्थन में मांगे गए ज़रूरी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।
- आवेदन की तिथि से 45 दिन के भीतर सरकार द्वारा यह धनराशि आवेदक के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

केस स्टडी

नामः रेणु

उम्रः 35

पताः बावड़ी मोहल्ला, वार्ड नंबर–5, पटौदी, जिला–गुड़गांव

योजना के लिए आवेदन की तारीख़ः 2016

उज्जवला योजनाः बी.पी.एल. कार्ड

रेणु पटौदी की रहने वाली हैं। उसकी शादी को 15 साल हो गये हैं। वह बेहद गरीब परिवार से हैं। रेणु के पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। वो भी कभी मजदूरी मिल जाती है, कभी नहीं। रेणु के चार बच्चे हैं, तीन लड़कियां और एक लड़का। पटौदी के बावड़ी मोहल्ले में इनका 25 गज का मकान है। जिसमें सास, देवर, जेठ जेठानी और उनके बच्चे सभी साथ में रहते हैं। रेणु पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं। उसने 2016 में उज्जवला गैस योजना के तहत आवेदन किया था। सभी दस्तावेज जिनकी मांग की गई थी, उसने संबंधित विभाग में जमा कराए, लेकिन इसके बावजूद उसे इस योजना का लाभ नहीं मिला। कारण बताया गया कि रेणु के पास बी.पी. एल. कार्ड नहीं है, इसलिए उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले रेणु ने राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड दोनों के लिए भी आवेदन किया था। राशन कार्ड तो उसका बन गया, लेकिन बी.पी.एल. कार्ड नहीं बना। जबकि इसी परिवार में उनकी जेठ जेठानी का बी.पी.एल. कार्ड बन चुका है। बी.पी.एल. कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, उसके आवेदन में क्या कमी है, इसके बारे में जानकारी भी उसे नहीं दी जा रही है। बी.पीएल. कार्ड न होने की वजह से उन्हें सामाजिक सुरक्षा से संबधित सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना

झारखण्ड सरकार

इस योजना में चालीस प्रतिशत या उससे ऊपर के सभी विकलांग व्यक्तियों को दो सौ रुपए प्रति महीने सहायता के तौर पर सम्मान राशि दिया जाता है। इस योजना में विकलांग व्यक्तियों को जीवन यापन शैली से संबंधित प्रशिक्षण आदि भी दिया जाता है। साथ ही सभी विकलांग व्यक्तियों को उनके बेहतर एवं सुविधाजनक जीवन बनाने के लिए ज़रूरी यंत्र और उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। विकलांग व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज़ भी उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना का लाभ उठाने की शर्तें:

* वह झारखंड का निवासी हो
* उसकी आयु 5 वर्ष से अधिक हो
* वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई पेंशन न प्राप्त कर रहा हो।
* विकलांग व्यक्ति जो विकलांगता की श्रेणी में आता हो।
* उसके माता–पिता की आय, आय कर सीमा से अधिक न हो।
* उसे जिला चिकित्सा परिषद द्वारा विकलांगता का प्रमाण पत्र मिला हो।
* वह केंद्र या राज्य या राज्य सरकार के किसी विभाग में कर्मचारी न हो।

सहायता राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?

सहायता राशि का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफ़िस के खाते में भेजी जाएगी। नाबालिग या मानसिक रूप से विकलांगों की सहायता राशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। जब तक बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में राशि भुगतान की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक जिला स्तरीय आधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में विकलांग व्यक्ति या उसके अभिभावकों को राशि का भुगतान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

केन्द्र सरकार

प्रधानमंत्री जनधन योजना केन्द्र सरकार द्वारा चल रही एक ऐसी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किसी भी बैंक की शाखा या बैंक मित्र केन्द्र से ज़ीरो बैलेंस का बैंक खाता खोला जा सकता है। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी नागरिक उठा सकता है।

योजना के लाभः

इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ मिलते हैं।

1. बैंक में बचत खाता खुलता है।
2. बैंक में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
3. बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है।
4. भारत में किसी भी जगह पैसे को भेजने की सुविधा मिलती है।
5. किसी सरकारी योजना के लाभ में मिलने वाली नकद राशि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खाते में आएगी।
6. महीने लगातार लेने देन के बाद खाता धारक को 5 हज़ार के ओवर ड्राफ़्ट (खाते में कोई राशि न होने पर भी 5000 रुपए तक की राशि को बैंक से निकालने) की सुविधा मिलती है। परिवार की महिला जिनका प्रधानमंत्री जनधन खाता है, उन्हें इस ओवर ड्राफ़्ट की सुविधा लेने में प्रथामिकता दी जाती है।
7. ए.टी.एम. रुपए डेबिट कार्ड मिलता है।
8. किसान क्रेडिट कार्ड (केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू)

योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

1. आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड या आधार संख्या हो तो अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
2. आधार कार्ड नहीं है तो पता व पहचान के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज की ज़रूरत होगीः

» मतदाता पहचान पत्र

» ड्राइविंग लाईसेंस

» पैन कार्ड

» पासपोर्ट

» मनरेगा कार्ड

3. यदि ऊपर दिए गए पहचान दस्तावेजों में पता भी शामिल हो तो अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन की प्रकियाः

- किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र केन्द्र पर जाकर एक फ़ॉर्म भरकर यह खाता खुलवाया जा सकता है।
- इस योजना के तहत खाता खुलवाने में यदि कोई समस्या आती है तो राष्ट्रीय हैल्पलाइन नम्बर 1800 11 0001 फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।

नोटः इस खाते को लगातार इस्तेमाल करते रहना है, अगर छह महीने तक इसमें कोई लेन-देन नहीं होगा तो खाता अस्थाई रूप से बंद हो जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

केन्द्र सरकार

योजना के अंतर्गत् निम्न आय वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए सरकार 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी जगहों (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) पर 1.30 लाख की आर्थिक मदद देती है। साथ ही इस योजना में होम लोन के ब्याज दर को भी कम किया गया है। यह योजना घर की मरम्मत के लिए भी कर्ज़ देती है। घर के मरम्मत के खर्चे के लिए 2 लाख रुपए की होम लोन पर 3 प्रतिशत तक की छूट मिलती हैं। इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है–शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना।

इस योजना में सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए मिलने वाला पैसा और दूसरी सुविधाएंः

- ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और मनरेगा के तालमेल के माध्यम से 'घर में शौचालय' बनाने के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त मदद का इंतज़ाम भी है।
- कर्ज़ राशि को 70 हज़ार रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नई कर्ज़ योजना के तहत अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी 2 लाख रुपए तक का कर्ज़ ले सकते हैं और उनको इस होम लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी, लेकिन यह कर्ज़ नया घर बनाने या घर के विस्तार के लिए ही लिया जाना चाहिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये जाने वाले घरों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ एवं कुशल ईंधन, आदि के लिए अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना में भारत सरकार ने एक तकनीकी सहायता एजेंसी (NTSA) का भी गठन किया है जो कि लाभार्थी को आर्थिक सहायता के अलावा मकान के निर्माण में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी।

योजना के आवेदन की सामान्य शर्तेंः

* इस योजना में परिवार का मतलब है पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।
* आवेदक परिवार के पास पहले से ख़ुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
* आवेदक को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी दूसरी आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
* इस योजना के तहत लाभार्थी को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) दोनों में से एक वर्ग के तहत होना आवश्यक है।
* ई.डब्ल्यु.एस (EWS) के लिए आय सीमा 3 लाख तय की है।
* निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लिए आय सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख तय की गयी है।
* इस योजना के लिए 70 साल के लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
* जिनकी आय 3 लाख से कम है वो भी आवेदन कर सकते हैं।
* वह परिवार जिसमें कोई विकलांग सदस्य हो और कोई दूसरा वयस्क सदस्य ना हो, उन्हें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।
* वह परिवार जिसमें परिवार की मुखिया के तौर पर महिला स्थापित हो और जिसमें कोई वयस्क सदस्य ना हो, उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है।
* खेती करने के लिए किसी भी तरह का तीन, चार पहिया आधुनिक उपकरण नहीं होना चाहिए।
* किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी सीमा 50,000 या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
* घर के किसी भी सदस्य की आय हर महीना 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

* किसी भी तरह का कर या टैक्स ना देता हो।
* घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन या लैंडलाइन फ़ोन नहीं होना चाहिए।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चुनाव का आधारः
- योजना के तहत लाभार्थियों का चयन 2011 के सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में दर्शाए गए विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
- योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के दायरे में बी.पी.एल. सूची के स्थान पर जनगणना–2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार शामिल होंगे।
- जिनके पास मकान नहीं है, एक या दो कमरों की कच्ची दीवार वाला घर या कच्ची छत वाले मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होते हैं।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» आधार कार्ड
» पहचान पत्र
» आवेदक का बैंक खाता
» आवेदक का बैंक खाता, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
» आवेदक का मोबाइल नंबर (जो काम कर रहा है) व आवेदक की एक तस्वीर आदि।

क्या शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने का एक ही तरीका है?

ग्रामीण आवास योजना में आप खुद आवेदन नहीं करेंगे। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी, जिनके आधार पर किसी भी परिवार को योजना ले लिए लाभार्थी स्वीकार किया जाएगा। शहरी आवास योजना का आवेदन लाभार्थी खुद करेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन की प्रकियाः

- पी.एम. आवास योजना ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आप ख़ुद से नहीं कर सकते हैं, पर संबंधित विभाग का कर्मचारी (MIS DATA ENTRY) पोर्टल पर आपकी जानकारी को भरता है
- इस जानकारी को जांचने के बाद पी.एम. आवास योजना की लिस्ट तैयार की जाती है। लाभार्थियों की फ़ाइनल लिस्ट पी.एम.ए.वाई.जी. की वेबसाईट पर डाल दी जाती है।

शहरी आवास योजनाः

➤ पहले आप इस http://pmaymis-gov-in वेबसाईट पर जाइए।
➤ इस वेबसाईट पर जाने के बाद आपको मेनू बार में Citizen Assessment कर के एक मेनू होगा तो कृपया इस पर क्लिक करें।
➤ आपको वहाँ दो विकल्प मिलेंगे–

- **पहला विकल्प** – स्लम ड्वेलर्स
- **दूसरा विकल्प** – अन्य 3 घटकों के तहत लाभ
- आपको अपनी ज़रुरत के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है।
- अब आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है और 'चैक' पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन फ़ॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी लिखनी है।
- फ़ॉर्म पूरा होने के बाद नीचे एक केप्चा कोड दिया हुआ है उसे लिखने के बाद आप एप्लिकेशन फ़ॉर्म को सेव करे और उसकी प्रिंट निकाल दें, ताकि आप अपना फ़ॉर्म सुधार सके और इसके अलावा आप अपने आवेदन के ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

केस स्टडी

नामः उर्मिला

उम्रः 35

पताः वार्ड नंबर 15, शिव मूर्ति के सामने, पटौदी, हरियाणा।

आवेदन की तारीख़ः 2016

प्रधानमंत्री आवास योजना

उर्मिला की शादी 2005 में नजफ़गढ़ के एक लड़के के साथ हुई थी, लेकिन यह शादी बहुत सफल नहीं हो पाई। लगातार घरेलू हिंसा झेलने के बाद उर्मिला को इस रिश्ते से निकलना ही बेहतर लगा। उर्मिला अपने पति के घर को छोड़कर अपने दस साल के बेटे के साथ अपने मायके में आकर रहने लगी, लेकिन उसे को अपने पति और ससुराल की तरफ़ से बच्चे के लालन–पालन के लिए कभी कोई खर्च नहीं मिला। उर्मिला मायके पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या सिर छुपाने के लिए छत की थी। उसके आस पास के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया हुआ था। उर्मिला ने भी इस योजना के तहत सरकारी सहायता लेकर घर बनाने के बारे सोचा। इस योजना की सारी जानकारी एकत्र की, और आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजों को इकट्ठा किया। इस योजना का फ़ार्म भरकर, उन सभी दस्तावेजों को इसमें लगा दिया जिसकी मांग की गई थी। आवेदन करने के बाद लगभग एक महीने तक जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन कई महीने गुजर गए, उस आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई, इसका कोई जवाब नहीं आया। जबकि उसके साथ इस योजना के लिए आवेदन करने वाले कई लोगों के जवाब भी आ गए और उन्हें इस योजना का लाभ भी मिल गया। उर्मिला ने संबंधित कार्यालय में कई बार जाकर अपने आवेदन की स्थिति जानने की कोशिश भी की, पर वहां इतनी ही जानकारी मिली कि उसका आवेदन किन्हीं कारण से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन स्वीकार न होने के क्या कारण हैं, यह किसी ने नहीं बताया। उर्मिला ने थक हार कर इस योजना के लाभ की उम्मीद छोड़ दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण हैल्पलाइन नंबरः

योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

- हैल्पलाइन टोल फ्री नंबरः 1800–11–6446
- ई–मेल आई.डी.–support&pmayg@gov-in
- आधिकारिक वेबसाईट–pmayg-nic-in
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी हैल्पलाइन नंबर 1800.11.8111
- ई – मेल– helpdesk-pfms@gov.in

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार की तरफ से समाज में उस तबके को जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाना इस योजना का मकसद है।

- इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 हज़ार रुपए की राशि प्रति वर्ष बैंक के खाते में भेजी जाएगी।
- आर्थिक रूप से पीड़ित परिवारों को आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ भी दिया जाएगा।
- वे परिवार जो इस योजना के तहत आएंगे, उनके प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी, बाकी राशि परिवार के मुखिया के खाते में आ जायेगी।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान–धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना,
- प्रधानमंत्री लघु व्यापार योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इस योजना के साथ जोड़ा गया है।
- योजना के अंतर्गत् इस योजना के तहत जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा उन परिवार के मुखिया की 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद तीन हज़ार रुपए का मासिक पेंशन भी दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने की लिए ज़रूरी शर्तेः

* आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
* परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
* दो हैक्टेयर से ज़्यादा के भूमि के मालिक न हों।

योजना के आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» आधार कार्ड
» पहचान पत्र
» आयु प्रमाण पत्र
» दो हेक्टेयर तक ज़मीन हैं तो ज़मीन के कागज़
» बैंक पासबुक
» फ़ोटो

इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले घ्यान देने वाली बातें–

- इस योजना के लिए ऑफ़लाइन ही फ़ॉर्म भरना होगा।
- आवेदन फ़ॉर्म परिवार के मुखिया के तरफ से ही भरा जाएगा।
- आवेदन पत्र सी.एस.सी. केन्द्रों, अंत्योदय केन्द्र तथा नज़दीकी अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से भरे जाएंगे।
- आवेदन पत्र में परिवार के सदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी होगी।
- इस योजना में परिवार के सदस्यों का बीमा भी कराया जाएगा। किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बीमा की राशि दो लाख की होगी।

- दुर्घटना बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत् आएगी, जिसमें लाभार्थी को 12 रुपए वार्षिक देकर इस योजना का लाभ ले सकता है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम 330 रुपए हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जाएगा।
- हर महीने सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में 500 रुपए जमा किए जाएंगे। इस तरह एक साल में 12 किश्तों में 6,000 रुपए मिलेंगे।
- इस योजना का लाभ केवल परिवार के मुखिया के नाम पर दिया जाएगा। सरकार इसकी जानकारी पारिवारिक पहचान पत्र के माध्यम से देगी।
- योजना के तहत मुख्य रूप से मुख्य लाभार्थी, घर के एक सदस्य को जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। यदि व्यक्ति गुजर जाता है तो परिवार को दो लाख रुपए मिलेंगे।
- प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत बीमा लाभार्थी को सालाना 330 रुपए का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम परिवार समृद्धि योजना के तहत मिलने वाले पैसे में से सीधे खाते में से काट लिया जाएगा।

भीमराव अम्बेडकर आवास योजना

झारखण्ड सरकार

यह योजना मुख्यतः राज्य की विधवा, बेसहारा एवं एकल बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए है, जिनका नाम किसी कारणवश सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाया या जिनके पति का असमय देहांत हो गया। पहले चरण में सरकार की योजना कुल 11000 घर बनवाने की है, जिस पर कुल 80 करोड़ का लागत आयेगा। योजना को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लागू किया जाएगा।

इस योजना के लाभः

- इस योजना में राशि सीधा आवेदक के खाते में आयेगी जो कि तीन चरणों में होगी–

➤ पहली किश्त 40,000 रुपए

➤ दूसरी किश्त 85,000 रुपए

➤ तीसरी किश्त 5000 रुपए

- इसके अलावा 15000 तक का मेहनताना भी मिलेगा। अगर आवेदक ने मनरेगा योजना के तहत आवास निर्माण में शारीरिक सहयोग भी किया तो।

योजना के आवेदन की शर्तें:

* आवेदक झारखण्ड का निवासी होना चाहिए।
* विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेजः

» ज़मीन के कागज़

» आधार कार्ड

» अपना बैंक खाता

» बैंक खाता विवरण

» पति की मृत्यु का प्रणाम पत्र

» ग्राम सभा से समर्थन (बहुत ज़रूरी)

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रियाः

- आवेदक झारखण्ड के तालुक/ज़िले में ग्राम पंचायत या जिला परिषद में संपर्क कर सकते हैं।
- आवेदक झारखण्ड में कलेक्टर कार्यालय में भी जा सकते हैं।

केस स्टडी

नाम– भाओ सबर

उम्र– पता नहीं

शिक्षा–अशिक्षित

पता–गांव–कुमीर, (सबर टोला) पूर्वी सिंहभूम

योजना–विधवा पेंशन, डाकिया योजना

भाओ सबर, कुमीर गांव की एक विधवा महिला है। इनका एक पुत्र भी है। भाओ का नाम सरकारी सूची में दर्ज है, इसलिए उन्हें डाकिया योजना का लाभ मिलता है। कुछ महीने पहले इस परिवार का डाकिया योजना का कार्ड खो गया, जिसके बाद उन्हें निःशुल्क अनाज मिलना भी बंद हो गया। भाओ सबर तो संकोच के कारण घर से बाहर ही नहीं निकलती, लेकिन उनका बेटा टूटी–फूटी बांग्ला में बस इतना ही बता पाता है कि डीलर, कार्ड के बिना अनाज देने से मना करता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि फिर से कार्ड बनवाने के लिए कहां आवेदन करना है। भाओ का बेटा एक दो बार ब्लॉक ऑफ़िस भी गया, पर जानकारी की कमी और भाषा के कारण किसी को अपनी समस्या सही तरीके से बता भी नहीं पाया। हालांकि भाओ का बेटा पांचवीं तक शिक्षित है, लेकिन दूसरी भाषा में, बातचीत में बहुत कुशल भी नहीं है। इसलिए उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उसकी मां को विधवा पेंशन भी मिल सकती है।

यह जनजाति बहुत संकोची है, अपनी जाति से बाहर के लोगों से ज़्यादा मेलजोल नहीं है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन्हें किसी भाषा की जानकारी भी नहीं है, जिस कारण वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। सरकार प्रखण्ड स्तर पर सभी परिवारों की सूची बनाते हैं, परन्तु कई बार एकल और बुज़ुर्ग महिलाओं का नाम इनमें दर्ज नहीं हो पाता है। सरकार के पास मानव संसाधन की कमी भी है, जिसके कारण ज़मीनी स्तर पर इस योजना की सुविधा मिलने में क्या दिक़्क़त लोगों को आ रही है, उसकी जांच नहीं हो पाती।

खाद्य सुरक्षा योजनाएं: एक नज़र....

किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का उसकी पोषण स्थिति से गहरा संबंध होता है। हालांकि, 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भाग लेने वाले 107 देशों में भारत 94 वें स्थान पर है। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पिछले एक दशक में काफी ख़राब हुई है, जैसा कि 2020 स्टेट ऑफ़ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट से पता चलता है। 2014 से 2019 के दौरान भारत में खाद्य असुरक्षा में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 6.2 करोड़ से भी अधिक लोग खाद्य असुरक्षा के साथ जी रहे रहे हैं। इसके अलावा 2017–19 के दौरान, विश्व पर पड़ने वाले खाद्य असुरक्षा के बोझ का 22 प्रतिशत हिस्सा भारत की ओर से है, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। इसलिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कई कोशिशें की हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टी.पी.डी.एस. है। अप्रैल 2018 से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आई.एम.–पी.डी.एस.) सभी राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में पी.डी.एस. सुधारों के तहत लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् सभी कार्ड धारकों को 'वन नेशन वन राशन कार्ड' प्रणाली के अन्दर राशन कार्डो की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी शुरू करना है। इससे पहले एक राज्य का राशन कार्ड उसी राज्य के लिए मान्य था, दूसरे राज्यों में धारक इसका लाभ नहीं ले सकता था, लेकिन राशन कार्ड की इस नई व्यवस्था में किसी भी राज्य का कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। प्रवासी किसी भी राज्य से इसका लाभ ले सकते हैं। 15 जनवरी 2021 तक 11 राज्यों को वन नेशन वन कार्ड की इस नई व्यवस्था के पूरी तरह से लागू और सुधार के लिए 30,701 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है। 2020 के अंत तक, लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों, देश की एनएफएसए आबादी का लगभग 86 प्रतिशत को कवर करते हुए 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा पहले ही मजबूत की जा चुकी है। कई राज्य सरकारों ने भी अपने निवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोषण–केन्द्रित प्रयासों को अपनाया है। इस संबंध में, उदाहरण के लिए, झारखण्ड सरकार ने 2017 में पी.टी.जी. डाकिया योजना की शुरुआत की। डाकिया योजना का उद्देश्य झारखण्ड में आदिम जनजातीय समूहों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल की डोर–टु–डोर डिलीवरी प्राप्त होती है। वहीं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा का उद्देश्य भोजन उपलब्ध कराना है। झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार, राज्य के 24 जिलों में से 75 प्रतिशत अत्याधिक अविकसित जिलों के श्रेणी में आते हैं, और लगभग 19 जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक महिलायें कम वज़न की हैं। इसके विपरीत, केवल दो जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक पुरुष कम वजन के हैं।

खाद्यान्न सुरक्षा

आदिम जनजाति डाकिया योजना
झारखण्ड सरकार

आदिम जनजाति डाकिया योजनाः

झारखण्ड सरकार ने आदिम जनजातियों के लिए पी. टी.जी. डाकिया योजना लागू की है, इसके तहत हर परिवार को उनके घर पर ही 35 किलो चावल हर महीने पहुंचाया जाता है। यह योजना खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता वितरण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है।

यह योजना किसके लिएः

- झारखंड राज्य में निवास करने वाले सभी आदिम जनजाति परिवारों (पी.वी.टी.जी.) को अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई) के तहत बिना कोई मूल्य चुकाए 35 किलोग्राम अनाज सीलबंद बोरे में घर पहुंचाकर दिया जाता है।
- सभी आदिम जनजाति परिवार इस योजना का लाभ उठाने योग्य हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» सरकार स्वयं ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनकी एक सूची तैयार करती है।

» अगर किसी कारणवश किसी परिवार का सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है तो परिवार मुखिया के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।

» नाम सूची में न होने पर या तो मुखिया के पास, सर्कल अधिकारी द्वारा या फिर आहार के पोर्टल में ऑफ़लाइन दर्ज करवाया जा सकता है।

» वर्तमान में सभी जनजातीय परिवारों की सूची तैयार नहीं हो पाई है।

राष्ट्रीय भोजन/खाद्य सुरक्षा योजना

देश में रहने वाले सभी नागरिकों को ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनके लिए दो समय का भोजन जुटाना एक मुश्किल काम है, उन्हें कम मूल्य पर पेट भर भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। यह योजना के तहत देश के दो तिहाई जनसंख्या शामिल होती है। (अब ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत आबादी और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S.) के तहत लाभ उठा सकेंगे। इस योजना में प्राथमिक परिवार और अंत्योदय परिवारों को सब्सिडाइज़ कीमत पर जैसे तीन रुपए किलो की दर से चावल और दो रुपए प्रति किलो के दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलो के दर से मोटा अनाज दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत् ए.पी.एल. और बी.पी.एल. श्रेणियां ख़त्म कर दी गई हैं। कई राज्य सरकार मुख्य भोजन पदार्थो के अलावा दाल, चीनी, नमक एवं अन्य पौष्टिक भोजन पदार्थ भी कम मूल्य पर वितरित करती हैं। जिसकी पूरी जानकारी राज्य के वेबसाईट से ली जा सकती है।

इस योजना के लाभ की शर्तेंः

इस योजना में सभी परिवारों को तीन भागों में बांट दिया गया है–

प्राथमिक परिवार (PHH)

अंत्योदय परिवार (AAY)

अन्य परिवार (NPHA)

- **अंत्योदय अन्न योजना** के तहत देश के सबसे गरीब परिवारों को अलग से चिन्हित किया जाता है। अंत्योदय परिवारों को बिना संख्या की शर्त के प्रतिमाह 35 किलो अनाज दिया जाता

है। सरकार ने अंत्योदय को शामिल करने के लिए एक दिशा निर्देश/मानदंड बनाया हुआ है। (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग)

- इस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (चावल ग्रामीण क्षेत्र में एवं चावल और गेहूं शहरी क्षेत्र में) पी.डी.एस. के माध्यम से प्रतिमाह वितरित किया जायेगा।

अन्नपूर्णा योजना

- इस योजना के तहत जिन बुजुर्गो को पात्रता के वावजूद वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें हर महीने मुफ़्त में 10 किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। इस श्रेणी में बेहद असहाय, गरीब और अभाव ग्रस्त लोगों को शामिल किया जाता है, जिनकी आमदनी का कोई स्त्रोत नहीं है और परिवार से कोई भी सहायता नहीं मिलती है। अगर ऐसे बुजुर्ग डीलर तक जाने में समर्थ नहीं हो तो वे ग्राम पंचायत में एक अर्जी देकर अपना राशन घर पर भी मंगवा सकते हैं। वर्तमान में यह योजना झारखण्ड में लागू है।

योजना के आवेदन के लिए दस्तावेजः

» निवास स्थान प्रमाण पत्र

» सभी सदस्यों का आधार कार्ड

» मुखिया का बैंक खाता

» घर में एक मोबाइल (ज़रूरी नहीं लेकिन होने पर सहूलियत होती है)

» विकलांगता, विधवा या बीमारी का प्रमाण पत्र (अगर परिवार का कोई सदस्य है)

आवेदन की प्रक्रियाः

- सबसे पहले संबंधित वेबसाईट में आवेदन को ऑनलाइन जमा करना पड़ता है।
- सभी ज़रूरी दस्तावेजों की एक फ़ोटो कॉपी भी साथ में जमा करनी होती है।
- उसके बाद फ़ॉर्म की एक कॉपी लेकर इसे ग्रामीण इलाकों में मुखिया और शहरी इलाकों में वार्ड मेम्बर की स्वीकृति लेने के बाद नज़दीक के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से भी स्वीकृति लेने के बाद नज़दीक के प्रखण्ड ऑफ़िस या जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कराना होता है।
- इसके बाद परिवार को एक पहचान नम्बर मिलता है।
- किस परिवार को किस योजना में शामिल करना है, इसका फैसला मुखिया और आपूर्ति पदाधिकारी, परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच करने के बाद लिया जाता है।
- इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर छह से आठ महीने लग ही जाते हैं।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा (शिकायत कहां करें)

- लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS)
- PGMS योजना में झारखण्ड में निम्नलिखित माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं– टोल फ्री नम्बर 1967,18002122723, मोबाइल मैसेज़ एवं वाट्स एप– 8969583111
- ई–मेल https://pgms.dfcajharkhand.in

राशन कार्ड – एक देश एक राशन कार्ड (वन नेशन, वन राशन कार्ड)

राशन कार्ड बनवाने से क्या फायदा है?

देश भर में राशन कार्ड की मदद से राशन कार्ड (ration card) धारकों को उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार (राज्य सरकारों) के द्वारा गरीब एवं ज़रूरतमंद जनता को चावल गेहूं एवं नमक तथा मिट्टी का तेल काफ़ी कम दाम में उपलब्ध कराया जाता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनुसार राशन वितरित किया जाता है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजनाः

यदि आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। अब तो देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (one Nation one ration card scheme) के अंतर्गत् राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब कार्ड धारक चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो वह वहीं पर अपने हिस्से का राशन ले सकता है। सबसे अधिक प्रवासी मज़दूरों को और दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को होगा। पहले राशन कार्ड धारक (ration card holders) अपने राज्य अथवा अपने शहर से दूसरे राज्य जाने पर अपना राशन नहीं ले पाते थे। मगर वन नेशन वन राशन की सुविधा लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने हिस्से का राशन ले सकेगा।

राशन कार्ड के आवेदन की शर्तेंः

* राशन कार्ड बनवाने के लिए भारत की नागरिकता ज़रूरी है।
* कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का 18 वर्ष का होना ज़रूरी है।
* आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास पहले से कोई भी कार्ड नहीं होना चाहिए।
* राशन कार्ड हमेशा परिवार के मुखिया के नाम से ही बनाया जाता है।
* राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम शामिल होना चाहिए।
* 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नाम माता पिता के साथ कार्ड में शामिल किया जाता है।

राशन कार्ड के आवेदन के लिए किन ज़रूरी दस्तावेजः

» पैन कार्ड
» आधार कार्ड
» पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ़
» आय प्रमाण पत्र
» आवास प्रमाण पत्र
» बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी
» मनरेगा जॉब कार्ड

राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रियाः

- राशन कार्ड ऑनलाइन अथवा ऑफ़लाइन (Ration card application online or offline) दोनों प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा रहा है।
- ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने के लिए आप http://fcs-up-gov-in/FoodPortal-asp पर क्लिक करके आवेदन फ़ॉर्म डाउनलोड करें।
- इसके बाद यहां पर मांगी गई सभी जानकारियां सही–सही दर्ज करें और फिर से अपने क्षेत्र के राशन डीलर अथवा खाद्य पूर्ति विभाग के दफ़्तर में सौंप दें।
- फ़ॉर्म जमा करने के बाद आप फ़ॉर्म जमा करने की रसीद ज़रूर लेकर अपने पास रखें।

केस स्टडी

नाम : ग्लोरी बेसरा

उम : 10 वर्श

ग्राम : फुसरी

पंचायतः बहेरा

प्रखण्ड : चरही

जिलाः हज़ारीबाग

खाद्यान्न सुरक्षा योजना।

ग्लोरी बेसरा अपने एक छोटे भाई और दादी जिनकी उम्र 58 वर्ष के साथ अकेले रहती है। इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां ने दूसरी शादी कर ली है। ग्लोरी एवं उसकी दादी को खाद्यान सुरक्षा के अलावा किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। ग्लोरी के दादा जी जिनका देहांत लगभग 20 साल पहले हो चुका है, वह सी.सी.एल. में काम करते थे। नियमानुसार अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी या नियमित नौकरी पर हो तो उसे सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोरी के दादा जी का देहांत सालों पहले हो चुका है और वह किसी सरकारी नौकरी में नहीं थे। ग्लोरी के पिता का भी देहांत हो चुका है और परिवार में कोई भी वयस्क सदस्य (महिला या पुरुष) नहीं है जो परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ग्लोरी की पैतृक ज़मीन को कई साल पहले सी.सी.एल (कोयला कम्पनी) ने खुदाई के लिए ले लिया था। नियमानुसार सी.सी.एल, ज़मीन मालिकों को बडी राशि हर्ज़ाने के तौर पर देती है, परंतु उन्हें किसी तरह का हर्ज़ाना भी नहीं मिला। उसकी दादी आज भी मज़दूरी करके दोनों बच्चों को पाल रही है।

दादी की उम्र ज़्यादा होने के कारण ग्लोरी को भी काम में हाथ बंटाना पड़ता है। ग्लोरी की दादी दोनों बच्चों को पास के मिशन स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। इस इलाके में ग्लोरी जैसी कई बच्चे–बच्चियां है, जिनकी ज़िन्दगी कोयला खदानों की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है। ये ना तो गरीब की सूची में आते है और ना ही इन्हें उचित मुआवजा मिलता है, जिन परिवारों ने आजीविका का दूसरा साधन नहीं खोजा या जिनके यहां कमाने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उनकी हालत बहुत दयनीय है।

स्वास्थ्य योजनाओं पर एक नज़र

स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच बने और ख़ास तौर पर देश के सबसे कमज़ोर तबके की पोषण स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इस खंड में पांच योजनाएं शामिल हैं– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी. एम.एम.वी.वाई.), जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना 2020, महिलाओं और किशोरियों के लिए किशोरी विकास योजना।

पहली योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) जो कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम 1 जनवरी, 2017 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद पर्याप्त आराम लेने की वज़ह से उनके रोजगार पर पड़ने वाले आर्थिक असर की भरपाई के लिए नकद के तौर पर आंशिक मुआवज़ा प्रदान करना है।

इस तरह से यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य संबधी तौर तरीकों में सुधार लाने की कोशिश करता है। इस योजना के अंतर्गत् अब तक यानी 29 जनवरी 2021 तक, योग्य लाभार्थियों को लगभग 7,995.65 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इसके अलावा, 1.83 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं ने वर्ष 2018–19 से 29 जनवरी, 2021 के बीच इस योजना के तहत लाभ का दावा किया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के लिए जितना धन तय किया जा रहा है, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जिसके लिए चुनौती के तौर पर इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी न होना और जटिल कागज़ी कार्यवाही को रेखांकित किया गया है।

दूसरी योजना है जननी सुरक्षा योजना, जो कि पी.एम.एम.वी.वाई. की कोशिशों को और आगे ले कर जाती है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। जो सुरक्षित मातृत्व की व्यवस्था करती है। इस योजना का उद्देश्य निम्न आय–वर्ग की गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहित करना है कि वे प्रसव घरों में नहीं; बल्कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की देखरेख में करवाएं, ताकि जच्चा–बच्चा मृत्यु दर को कम किया जा सके। केवल वर्ष 2019–20 में, 1.07 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। भारत में प्रति एक लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करने का श्रेय विशेष रूप से, इस कार्यक्रम को जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (आर.जी.आई,) सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एस.आर.एस.) के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2016–18 में मातृ मृत्यु दर घटकर 113 पहुंच गयी, जो कि वर्ष 2015 17 में 122 थी और 2014–16 में 130 थी।

तीसरी योजना है स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB&PMJAY) केंद्र सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2018 को भारत भर में,

सभी परिवारों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने पचास करोड़ लोगों में से 10.74 करोड़ गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक जोखिम सुरक्षा कवच (बीमा) सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना ने 26 नवंबर, 2020 तक 1.4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ़्त इलाज प्रदान किया है। इसके अलावा, आज तक, 24,000 से अधिक अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत् सूचीबद्ध किया गया है और 12.7 करोड़ से अधिक ई–कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इलाज के लिए अस्पताल में एडमिशन लेने के लिए 17,535 करोड़ रुपए से अधिक राशि तय किया है, जबकि सितंबर 2018 में इस योजना के शुरू होने के दो साल के भीतर इसे लागू करने के लिए 5,474 करोड़ रुपए की कुल राशि वितरित की गई है।

उन राज्यों में, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया है, उनकी तुलना में वे राज्य जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना को अपनाया है, वहां शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी, परिवार नियोजन सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उपयोग और एच.आई.वी./एड्स के बारे में अधिक जागरूकता देखी गई है। (आर्थिक सर्वेक्षण, 2020–21)।

चौथी योजना है किशोरियों के लिए/सबला (पहले थी किशोरी शक्ति योजना) 1 अप्रैल, 2011 को किशोरियों को सुविधा प्रदान करने, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई। यह एक एकीकृत स्व–विकास योजना है। यह कार्यक्रम किशोरियों को आत्मनिर्भर और जागरुक नागरिक बनने में सक्षम बनाता है। 2015–16 के बाद से, सरकार ने योजना के लिए 1957.87 करोड़ रुपए तय किया और कुल खर्च किया है, और वित्तीय वर्ष 2019–20 में 4.92 लाख लड़कियों को इस योजना के तहत लाभ मिला है।

पांचवीं योजना है महिला विकास योजना जिसे हरियाणा सरकार ने हाल ही में अगस्त 2020 में शुरू किया है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों की 10 से 45 साल की उम्र के बीच की किशोर लड़कियों और महिलाओं को मुफ़्त में सैनेटरी नैपकिन बांटे जाएंगे। इस योजना में साल में हर महीने लाभार्थी को छह सैनेटरी नैपकिन दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना (PMMVY)

केन्द्र सरकार

योजना का लाभः

गर्भवती महिलाओं और नवजातों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए केन्द्र सरकार की यह योजना है। जिसमें गर्भावस्था और बच्चे के जन्म तक मां और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिए सरकार की तरफ़ से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना में पहली बार गर्भवती होने वाली या पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सारी जांच और बच्चे की डिलीवरी निःशुल्क होती है। योजना में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होने पर सीधे उनके बैंक के खाते में 6000 रुपए आ जाते हैं। यह राशि उन्हें जच्चा और बच्चा का पोषण उपलब्ध कराने के लिए दी जाती है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली सभी महिलाओं को कम से कम दो जांच बिल्कुल मुफ़्त होती है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी संबंधित सेवाओं के साथ डिलीवरी के बाद के समय में सहायता करेंगे। जब गर्भवती महिला का इस योजना के अंतर्गत् पंजीकरण हो जाता है तो टीका संबधी सूचना समय–समय पर गर्भवती महिला तक पहुंचाई जाती है। प्रसव के बाद पांच साल तक जच्चा– बच्चा के टीकाकरण को लेकर भी उन्हें संदेश मिलते रहते हैं।

इस योजना का लाभ इन्हें मिलेगाः

- कोई भी शहर या गांव में रहने वाली गर्भवती महिला जो पहली बार मां बनी है या गर्भवती है इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकती है। झारखण्ड में जहां यह सभी महिलाओं के लिए है वहीं दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में यह गरीबी रेखा से नीचे आने वाली गर्भवती महिलाएं इस योजना के दायरे में आती हैं।
- गर्भावस्था सहायता योजना में आवेदन करने वाली गर्भवती महिला की उम्र 19 से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत् उन महिलाओं को ही फायदा मिल पाएगा जो 1 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई हैं।

योजना की शर्तेंः

* यह सुविधा गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को ही मिलेगा।
* गर्भवती महिला की आयु 19 या 19 से ज़्यादा होनी चाहिए। 19 से कम आयु की महिला इस योजना में अपना पंजीकरण नहीं करा सकती है।
* केवल पहले बच्चे के जन्म देने के लिए ही गर्भवती महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत् चिकित्सा सुविधा मिलेगी और पोषण के लिए पैसे मिलेंगे।
* इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को ही मिलता है।
* अगर किसी महिला को दो या तीन बच्चे एक साथ होते हैं (जुड़वां) तो इस योजना का लाभ इन सभी बच्चों के लिए मिलेगा, लेकिन भविष्य में महिला फिर से गर्भवती होती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* आखिरी माहवारी के 730 दिन के अंदर या बच्चा पैदा होने के 460 दिनों के अंदर आवेदक आवेदन कर लाभ ले सकता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए यहां संपर्क करें

* प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने इलाके के आंगनवाड़ी केन्द्र में या

स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में अपना नाम दर्ज कराना होगा।

* महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वेबसाईट से भी आप यह फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

इस योजना के लिए यहां पंजीकरण करायें

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत् यह छह हज़ार रुपए तीन किश्तों में मिलेंगे। इसके लिए तीन अलग–अलग फ़ॉर्म भरने होंगे। ये फ़ॉर्म हैं–1ए, 2बी और 3सी।
- पहली बार पंजीकरण के लिए फ़ॉर्म 1ए आपको आंगनवाड़ी केन्द्र या स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में जमा कराना होगा।
- दूसरी किश्त के लिए 2बी और तीसरी किश्त के लिए 3सी फ़ॉर्म भी नियमित समय पर आंगनवाड़ी और सुविधा केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।
- जब तीनों फ़ॉर्म आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में जमा हो जायेंगे तो वे एक पर्ची रसीद के रूप में देंगे जो इस बात का प्रमाण है कि आप इस योजना के लिए पंजीकृत हो गए हैं।

तीन अलग–अलग किश्तों में मिलने वाले पैसों की शर्ते

* **पहली किश्तः** यह किश्त एक हज़ार रुपए की होती है जो कि गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण के समय दी जाती है।
* **दूसरी किश्तः** यह किश्त गर्भावस्था के छह महीने बाद अल्ट्रासाउण्ड कराने के बाद दी जाती है।
* **तीसरी किश्तः** तीसरी किश्त बच्चे के जन्म, पंजीकरण तथा पहले चक्र में लगने वाले सभी टीका के पूरा हो जाने के बाद मिलती है।
* प्रसव के समयः प्रसव के समय भी गर्भवती महिलाओं को एक हज़ार रुपए दिए जाते हैं, ताकि उन्हें प्रसव में पैसे के कारण किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। शहरी महिला के लिए यह राशि 1400 रुपए है, जबकि ग्रामीण महिला के लिए 1000 रुपए की राशि है।
* यह राशि सीधा लाभार्थी के बैंक के खाते में ही जाएगी। कैश या नकद नहीं मिलेगी।
* अगर पंजीकरण के बाद या एक या दो किश्त मिलने के बाद गर्भपात हो जाता है तो बाकी किश्त नहीं मिलेंगे। अगली बार गर्भधारण करने के बाद बाकी किश्त गर्भवती को दे दिए जाएंगे। जो किश्त ले लिए गए हैं, उनकी रसीद बाकी किश्तों के पंजीकरण के समय लगाने होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

» माता–पिता दोनों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी
» बैंक या पोस्ट ऑफ़िस खाते की पासबुक
» राशन कार्ड
» बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
» आधार न होने पर पहचान के लिए दूसरे अन्य विकल्प–
» प्राइमरी हैल्प सेंटर (पी.एच.सी.) या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड
» सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र

पी.एच.सी. या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का हेल्पलाइन नंबरः

011–23386423, 7998799804

अन्य ज़रूरी जानकारी

1. इस योजना में पैसे आपके खाते में जमा होंगे। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो उसे अवश्य लिंक करा लें।
2. अगर आप राशि पोस्ट ऑफ़िस के खाते में चाहते हैं तो अपना पोस्ट ऑफ़िस खाता आधार से लिंक करवा लें।

केस स्टडी

नामः–चांदनी

उम्रः–20 वर्ष

जातिः–(एस.सी.)

धर्मः–हिन्दू

पताः– ए ब्लॉक, जे.जे. कालोनी बवाना।

योजना के लिए आवेदन/आवेदन के लिए प्रयास की तारीखः – अगस्त 2019

योजना का लाभ/शामिल करने की तारीखः–मई 2020

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

चांदनी जे.जे. कालोनी बवाना में पिछले 2 सालों से रह रही है। चांदनी के परिवार में पति के अलावा सास और ससुर हैं। चांदनी के पति ई–रिक्शा चलाते हैं। अगस्त 2019 में बवाना के समीप स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में जांच के बाद चांदनी को पता चला कि वो गर्भवती है। चांदनी पहली बार गर्भवती बनी थी। इसलिए वो लगातार आंगनवाड़ी और अस्पताल के सम्पर्क में थी। सितम्बर 2019 में आंगनवाड़ी वर्कर ने चांदनी का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी और इस योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड और बैंक की पासबुक मांगी। चांदनी का बैंक में खाता नहीं था। चांदनी को इस योजना के लाभ के लिए सबसे पहले अपना बैंक में खाता खुलवाना था। चांदनी ने 2–3 दिनों के भीतर ही भारतीय स्टेट बैंक में अपना जनधन योजना के तहत शून्य बैलेन्स वाला खाता खुलवा लिया। जिसके बाद चांदनी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सम्पर्क किया और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अपना आवेदन कराया। आवेदन को दो महीने होने के बाद भी चांदनी के बैंक खाते में इस योजना के तहत कोई आर्थिक मदद नहीं आई। चांदनी ने इसकी जानकरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी। पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी चांदनी के आवेदन की स्थिति बताने में असमर्थ थी। आख़िरकार फरवरी 2020 में चांदनी के खाते में इस योजना के तहत 3000 रुपए जमा हुए। चांदनी ने इस बात की सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने चांदनी को बताया कि यह 3000 रुपए दो बार में आने वाली किश्त है। असल में यह किश्त 1000 रुपए और 2000 रुपए करके दो बार में आनी थीं, पर आवेदन को ज़्यादा समय होने के कारण यह किश्त एक बार में आई है। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के कारण चांदनी को अपने रेग्युलर जांच में बहुत समस्या आ रही थी। चांदनी के प्रसव का समय भी नज़दीक था, ऐसे में चांदनी को बहुत चिंता होने लगी। अप्रैल 2020 में चांदनी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में दाख़िल कराया गया। जहां चांदनी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। बिटिया के जन्म के एक महीने के बाद ही चांदनी के बैंक खाते में 3000 रुपये (2000 रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के और 1000 रुपए जननी सुरक्षा योजना के) जमा हुए। लॉकडाउन के दौरान चांदनी के पति का काम बंद पड़ा था, ऐसे में इस आर्थिक मदद ने चांदनी को कुछ राहत पहुंचाई। चांदनी की बिटिया अब 7 महीने की है। चांदनी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पूरा आर्थिक लाभ मिला।

जननी सुरक्षा योजना

- गर्भवती महिलाओं और नवजातों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए केन्द्र सरकार की यह योजना है। जिसमें गर्भावस्था और बच्चे के जन्म तक मां और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिए सरकार की तरफ़ से आर्थिक मदद दी जाती है।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सारी जांच और बच्चे की डिलीवरी निःशुल्क होती है।
- योजना में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होने पर सीधे उनके बैंक के खाते में 6000 रुपए आ जाते हैं। यह राशि उन्हें जच्चा और बच्चा का पोषण उपलब्ध कराने के लिए दी जाती है।
- इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली सभी महिलाओं को कम से कम दो जांच बिल्कुल मुफ़्त होती है।

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी संबंधित सेवाओं के साथ डिलीवरी के बाद के समय में सहायता करेंगे।

इस योजना के लिए ज़रूरी कागज़ात (दस्तावेज)

इस योजना में पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेजों की ज़रूरत होगी–

» आवेदक का आधार कार्ड
» जननी सुरक्षा कार्ड
» बैंक खाते का विवरण
» महिला का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
» बी.पी.एल. कार्ड
» निवास प्रमाण पत्र
» मोबाइल नंबर
» सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिलीवरी सर्टिफ़िकेट

इस योजना के लिए आवेदन का तरीका है

जननी सुरक्षा योजना में आवेदन का तरीकाः

- सबसे पहले आपको केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेबसाईट https://nhm.gov.in पर जाकर वहां से जननी सुरक्षा योजना का आवेदन फ़ॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फ़ॉर्म आपको आंगनवाड़ी केन्द्र में भी मिल जाएंगे।
- इस आवेदन फ़ॉर्म को भरना होगा, इसमें आवेदक का नाम, पता, उम्र आदि की जानकारी मांगी गई होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद, ऊपर जो दस्तावेज कहे गए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आवेदन के साथ लगाने होंगे।
- फ़ॉर्म और दस्तावेज को आंगनवाड़ी या महिला स्वास्थ्य केन्द्र में जमा करना होगा।

पंजीकरण कराने के बाद

- जिन महिलाओं ने जननी सुरक्षा योजना में अपना पंजीकरण कराया है, वे इसका लाभ केवल सरकारी अस्पताल और कुछ प्राइवेट अस्पताल जिसका चुनाव सरकार ने किया है, उसमें ले सकते हैं।
- यदि गर्भवती महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया है, तब भी उसे इसमें जितने पैसे निर्धारित हैं वह मिलेंगे। बच्चे के जन्म से पहले या बीच के समय को वैध मामले के रूप में माना जाएगा।
- पंजीकरण के बाद महिला का एक जननी सुरक्षा कार्ड आंगनवाड़ी केन्द्र से बनेगा। जिस आंगनवाड़ी केन्द्र में इस योजना के लिए आवेदन करेगे।

इस योजना में आशा वर्कर ज़िम्मेदारी

आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की ज़िम्मेदारियांः

- गर्भवती महिलाओं को प्रसव से संबधित सभी जानकारी देना।

- गर्भवती महिलाओं को उनके पंजीकरण कराने में मदद करना।
- प्रसव से पहले जो तीन जांच होते हैं, वे करवाने में गर्भवती महिला को मदद करना। जिसमें फ़ोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम की गोलियां, व दो टिटनेस के इंजेक्शन शामिल हैं।
- मां को स्तनपान करवाने में अगर कोई दिक़्क़त आ रही है तो उसमें सहायता प्रदान करना।
- बी.सी.जी. सहित नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना।

जननी सुरक्षा योजना में मिलने वाला पैसा ऐसे मिलेगाः

इस योजना में गर्भवती महिला के खाते में सीधे पैसे आएंगे। यह तीन किश्तों में आएंगे। यह तीन किश्तों में उस स्थिति में आएंगे जब उससे शर्तें गर्भवती महिला ने पूरी कर ली हो। ये शर्तें निम्न हैं:

पहली किश्तः जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिला को पहली राशि 1500 रुपए दी जाती है। ये राशि उन महिलाओं को दी जाती है जिन्होंनेः

- अपना पंजीकरण गर्भावस्था के पहले चार महीनों में किसी नज़दीकी आंगनवाड़ी केन्द्र में कराया हो।
- कम से कम एक शिशु की देखभाल संबधी सत्र में शामिल हुई हों, और आयरन और फ़ोलिक एसिड की दवा ली हो।
- कम से कम एक से तीन सत्र स्वास्थ्य केन्द्र या आंगनवाड़ी केन्द्र में काउंसलिंग की ली हो।

दूसरी किश्तः दूसरी राशि 1500 डिलीवरी के तीन महीनों के बाद दी जाती है। यह राशि उन महिलाओं को दी जाती है जिन्होंनेः

- बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया हो।
- बच्चे को 6 और 10 हफ़्तों के बाद बी.सी.जी. और ओ.पी.वी. के टीके और खुराक दिलवाए हों।
- कम से कम दो सत्र में जो बच्चे की देखभाल पर किए गए हों, उनमें शामिल हुए हों।

तीसरी किश्तः बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तीसरी राशि 1000 रुपए की दी जाती है, जिन्होंनेः

- जिन्होंने कम से कम छह महीने तक अपने बच्चे को स्तनपान कराया हो।
- कम से कम दो सत्र जिसमें बच्चे के विकास पर जानकारी दी गई हो उसमें शामिल हुई हों।

आयुष्मान भारत योजना 2020

केन्द्र सरकार

- आयुष्मान भारत योजना केन्द्र सरकार की योजना है। यह स्वास्थ्य बीमा है। जिसमें बीमारी होने पर इलाज के लिए पांच लाख तक की राशि खर्च करने की सुविधा होगी। जब भी किसी रोगी को अस्पताल में एडमिट किया जाएगा तब आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल के खर्चे को पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा से काट लिए जाएंगे। रोगी को अस्पताल में एक भी रुपए जमा नहीं कराने होंगे। इस योजना के तहत किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में दिल की बीमारी, कैंसर से लेकर सामान्य बुखार या संक्रमण के कारण होने वाले बुखार का इलाज करवाया जा सकता है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा चुने गए प्राइवेट अस्पतालों में ही इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। जबकि इस योजना का फायदा सभी सरकारी अस्पतालों में उठाया जा सकता है।

इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» राशन कार्ड

» परिवार का आधार कार्ड

» घर के पते का सबूत

» बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी

» आय प्रमाण पत्र

» आपके पूरे परिवार का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

केस स्टडी

नाम– स्व. सोनी देवी

उम्र–25 वर्षीय

पता–गांव डाढ़ा, बरियातु, लातेहार, रांची, झारखण्ड

जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मातृ वंदना योजना।

स्व. सोनी देवी को जच्चगी के लिए, बरियातु उप स्वास्थ्य केन्द्र में 27.11.20 को भर्ती किया गया था। सोनी देवी के गर्भ में जुड़वां बच्चे थे। कमज़ोरी की वज़ह से उनकी डिलीवरी में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, जो कि वहां की ए.एन.एम. संभाल नहीं पा रही थी। एक बच्चे की डिलीवरी हो गई पर दूसरा बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आया। उसने सोनी को लातेहार या हज़ारीबाग रेफ़र कर दिया, लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं करवाया। सोनी के पति के पास न तो इतने पैसे थे की वे उसे किसी अच्छे बड़े नर्सिंग होम में भर्ती करवा सके, न ही इतना समय था कि किसी दूर के बड़े सरकारी अस्पताल तक उसे ले जा सके। सोनी को पास के ही एक फर्जी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया। जांच और ऑपरेशन के नाम पर उस नर्सिंग होम ने सोनी के पति से हज़ारों रुपए फ़ीस के तौर पर रख लिए। वहां के एक नौसिखिए डॉक्टर से ऑपरेशन करवा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान ही एक बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान सोनी की हालत भी बहुत बिगड़ गई, इसके बावजूद उस नर्सिंग अस्पताल में रेफ़र नहीं किया, और ग़लत इलाज करते रहे। नतीजन दो दिनों बाद सोनी की भी मौत हो गई।

यह बिल्कुल साफ़ है कि सोनी देवी की गर्भावस्था के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत् आशा वर्कर, ए.एन.एम. और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समय–समय पर होने वाली जांच में लापरवाही बरती गई, नहीं तो गर्भ की जटिलता का पता पहले ही चल जाता। जननी सुरक्षा योजना के तहत उसकी भर्ती जिला अस्पताल में पहले ही हो जानी चाहिए थी। और तो और संस्थागत प्रसव और रेफर के लिए ममता वाहन भी उपलब्ध नहीं कराया गया। आज सोनी की बेटी बिना मां के बड़ी हो रही है। यहां तक कि इन पूरी लापरवाहियों का मुआवजा भी उसकी बेटी को नहीं मिला। परिवार बहुत गरीब है, उसकी मुआवजे के लिए क़ानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ है।

इस योजना के लिए आवेदन यहां और ऐसे कर सकते हैं:

- इस योजना के लिए फिलहाल आवेदन ऑनलाइन ही हो रहे हैं। इसके लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाईट https://mera.pmjay.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा।
- इस पंजीकरण में आपके राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद उसमें आपको सबमिट कर देना होगा। आपके राशन कार्ड के नंबर से वह आपके बारे में सारी जानकारी खुद ले लेगा। सबमिट करते ही आपका पंजीकरण हो जाएगा।
- इस योजना के तहत सरकार आपको एक 'आयुष्मान भारत कार्ड' देगी। इस कार्ड को बनाने के लिए बाकि दस्तावेज जो ऊपर बताए गए हैं, उनकी ज़रूरत होगी।

आयुष्मान भारत योजना से संबंधित जानकारी के लिए यहां संपर्क करें:

आप निम्न वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं और हैल्पलाइन नंबर पर आप अपने परिवार के लाभार्थी होने या न होने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं–

- https: //mera.pmjay.gov.in/search/login
- हैल्पलाइन नंबर–14555

किशोरी शक्ति योजना

➤ 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की किशेरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना इस योजना का मकसद है। इस योजना में परिवार कल्याण, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्धतियां एवं गृह प्रबन्धन आदि विषयों पर समझ बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अंक–ज्ञान और साक्षरता प्रदान किया जाता।

योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें संपर्क:

राज्यों के आंगनवाड़ी केन्द्रों में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर या बाल विकास परियोजना अधिकारी से सम्बन्धित जिला कलेक्टर से सम्पर्क किया जा सकता है।

योजना का लाभ कैसे लें:

ट्रेनिंग के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 18 किशोरियों का चयन कर उनको विभागीय पर्यवेक्षक, ए.एन.एम. या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तीन दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरेक ग्राम पंचायत में एक साल में कुल 3 ट्रेनिंग का आयोजन हर तीसरे महीने किए जाने का प्रावधान है।

महिला एवं किशोरी सम्मान योजना

हरियाणा सरकार

महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली महिलाओं व किशोरियों को मुफ़्त में सेनेटरी नेपकिन दिया जाता है। यह योजना महिलाओं को माहवारी को लेकर जागरुकता बढ़ाने और माहवारी के दौरान होने वाली बीमारियों से छुटकारा दिलाने के मकसद से शुरू किया गया है। इसकी शुरूआत हरियाणा सरकार द्वारा 5 अगस्त 2020 को की गई है। इस योजना के लिए सरकार ने 30–80 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, ताकि राज्य की 22.50 लाख महिलाओं व किशोरियों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

इस योजना का लाभ इन आयु–वर्ग की महिलाओं को मिलेगा:

इस योजना के तहत 10 से 45 साल तक की गरीब महिलाएं लाभ उठा सकती हैं। इस आयु–वर्ग की

किशोरियों और महिलाओं को मुफ़्त में सेनेटरी नेपकिन बांटे जाएंगे। ये सेनेटरी नेपकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे।

ये सेनेटरी नेपकिन यहां मिलेंगेः

सेनेटरी नेपकिन आंगनवाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों के माध्यम से किशोरियों व महिलाओं तक पहुंचाए जाएंगे।

इस योजना की विशेषताएंः

- इस योजना के तहत 10–45 साल की किशोरियों और महिलाओं को 1 साल तक प्रति माह 6 सेनेटरी नेपकिन मुफ़्त में बांटे जाएंगे। इस काम को अंजाम देने में आंगनवाड़ियों तथा स्कूल प्रबंधन समितियों का सहयोग लिया जाएगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तेंः

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किशोरी या महिला–

* हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
* गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो।
* किशोरी या महिला की उम्र 10–45 साल के बीच हो।

दिल्ली आरोग्य निधि योजना

दिल्ली सरकार

दिल्ली आरोग्य निधि योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को बीमारी के इलाज के लिए 1.5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलती है।

योजना की शर्तेंः

* योजना के तहत केवल सरकारी अस्पताल में ही रोगी का इलाज चल रहा हो।
* परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 1 लाख रुपए होनी चाहिए।
* रोगी लगातार पिछले 3 वर्षो से दिल्ली का निवासी हो।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» दिल्ली में लगातार पिछले 3 वर्षो से रहने का प्रमाण। इनमें से कोई भी एक मान्य है–

1. राशन कार्ड,
2. पहचान पत्र

» यदि रोगी 18 वर्ष से कम हो तो रोगी का जन्म प्रमाण पत्र और उसके माता/पिता का पहचान पत्र।

» आधार कार्ड

» अस्पताल के कंसल्टेंट/मेडिकल सुपरिटेंडेंट/चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर के हस्ताक्षर किये हुए कितना खर्च आ रहा है, यह बताता हुआ प्रमाण पत्र।

» इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा आवेदन फ़ॉर्म पर मरीज़ के दो फ़ोटो का सत्यापन।

» आय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड (राशन कार्ड)

» चल रहे इलाज के कागज़ों की फ़ोटोकॉपी।

» नियोक्ता द्वारा काम करने के दस्तावेज, यदि काम करते हों!

» खुद द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

आवेदन की प्रक्रियाः

- जिस सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट/मेडिकल डायरेक्टर के पास या
- मरीज़ कल्याण प्रकोष्ठ, कमरा नं 1, छठी मंज़िल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, एफ़–17, कड़कड़डूमा, (निकट कड़कड़डूमा कोर्ट), वहां जाकर इसके लिए आवेदन फ़ॉर्म मांगें।
- फ़ॉर्म को भरने के बाद और उसमें सभी दस्तावेज लगाकर वहीं जमा करें।
- फ़ॉर्म के साथ लगे सभी फ़ोटोकॉपी को जमा करते समय सभी ओरिज़नल दस्तावेजों को सत्यापन हेतु साथ मे लेकर जाएं।

रोजगार योजनाओं पर एक नज़र.....

भारत सरकार ने गरीबी को कम करने के साधन के रूप में रोजगार और आय को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं शुरू की हुई हैं। इस खण्ड में छह ऐसी योजनाएं शामिल हैंः महिला कॉयर येाजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना, महिला विकास योजना, तेजस्विनी योजना और उद्यमी सखी मंडल योजना।

महिला कॉयर योजनाः केन्द्र सरकार ने वर्ष 1994 में कॉयर फ़ाइबर का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महिला कॉयर योजना की शुरूआत की। कॉयर बोर्ड इस योजना को चला रहा है, जिसमें महिला लाभार्थियों को कॉयर धागे को कातने का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर रियायती दर पर कॉयर प्रसंस्करण उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः यह योजना केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में शुरू की, जिसमें गैर–कृषि और गैर–कॉरपोरेट छोटे और बहुत छोटे स्तर के व्यवसायों के लिए, कम ब्याज दर पर कर्ज़ उपलब्ध कराया जाता है। मुद्रा लोन योजना के माध्यम से मिलने वाले कर्ज़ का ब्याज दर बाज़ार से प्रभावित नहीं होता है और निर्माण, सेवाओं, खुदरा और खेती से जुड़ी दूसरी गतिविधियों में आय और रोजगार पैदा करता है। वर्ष 2021 के 19 फरवरी तक 3.65 करोड़ मुद्रा लोन जिसकी राशि 2.32 लाख करोड़ रुपए थी, वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजनाः वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की जो सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। वर्ष 2021 के 24 फरवरी तक, देश के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3.50 लाख कामॅन सर्विस सेंटरों के माध्यम से 45 लाख लोगों के इस योजना के तहत नाम दर्ज हुए। वर्ष 2019–20 में, 500 करोड़ रुपए योजना के लिए तय किया गया था, जिसमें से 352.2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। केन्द्रीय बजट 2021–22 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए तय हैं।

तेजस्विनी योजनाः तेजस्विनी योजना, विश्व बैंक, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग की संयुक्त योजना है। झारखण्ड के 17 जिलों में 9 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल इस योजना पर हुआ, जिसके माध्यम से 14–19 वर्ष की किशोरियों और युवा महिलाओं को उनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने और नौकरी के बाज़ार में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी कौशल उपलब्ध कराने पर किया जा रहा है। इस योजना के तीन मुख्य हिस्से हैं–पहला, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अवसर बढ़ाना। दूसरा, सेवाओं का बड़े स्तर पर वितरण और तीसरा, इस संदर्भ में राज्य की क्षमताओं को बढ़ाना और योजना के लागू करने में मदद करना। विश्व बैंक ने 31 अगस्त 2021 तक झारखण्ड में प्रोजेक्ट लागत का 70 प्रतिशत 680,000 किशोरियों और युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया। इसके अलावा झारखण्ड सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके सशक्त बनाने के लिए उद्यमी सखी मण्डल योजना की भी शुरुआत की है।

महिला समृद्धि योजनाः हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्व–रोजगार के अवसर देने के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरूआत की। योजना के तहत 60,000 रुपए तक के कर्ज़ केवल 5 प्रतिशत सालाना की ब्याज दर पर दिए जाते हैं।

रोजगार योजनाएं

महिला समृद्धि योजना हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में निम्न आय वर्ग की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 60,000 रुपए तक का कर्ज़ 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के लाभ ऐसे प्राप्त करें

जो महिलाएं अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उन्हें 'अंत्योदय सरल पोर्टल' पर जाकर ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आवेदन करने वाली महिलाओं का अपना बैंक खाता हो और यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

योजना ये लिए ये ज़रूरी शर्तें:

* 18 से 45 साल तक की महिलाएं
* महिला अनुसूचित जाति या जनजाति से संबद्ध होनी चाहिए।
* ठोस व्यवसाय या रोजगार योजना होनी चाहिए।
* महिला का बैंक ख़ाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
* राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
* जिनके पास आय का कोई और साधन न हो।
* बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत 10000 रुपए तक की अनुदान राशि भी दी जाएगी।
* जिनके परिवार की आय 3 लाख रुपए सालाना से कम है, वही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र

» अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र

» बैंक खाते की पासबुक

» आधार कार्ड की कॉपी

» आयु प्रमाण पत्र

» आय प्रमाण पत्र

» मोबाइल नंबर

» पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो।

इन कारोबारों के लिए कर्ज़ ले सकते हैं:

लघु उद्योगों व रोजगारों को शुरू करने के लिए कर्ज़ ले सकती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक की दुकान, डेयरी फ़ार्मिंग, मुर्गी पालन, चूड़ी की दुकान, सिलाई की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, पापड़ चटनी बनाना, टोकरी–बैग बनाना या कोई दूसरे छोटे स्तर का कारोबार और रोजगार।

आवेदन की प्रक्रिया:

आवेदन करने के लिए सरल पोर्टल की ऑफ़िशियल वेबसाईट पर होम पेज पर जाकर योजना का नाम डालना होगा और दिए गए फ़ॉरमेट में आवेदन करना होगा। इसके लिए आप किसी कंप्युटर एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं।

तेजस्विनी योजना

झारखण्ड सरकार

झारखंड महिला विकास समिति द्वारा चलाई जा रही यह योजना 14 से 24 साल तक की किशोरियों एवं युवतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह योजना स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देती, किशोरियों एवं युवतियों के घर के आस–पास रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देती है।

योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे आवेदन करें

किशोरी/युवती संबंधित ब्लॉक कार्यालय, सी.डी.पी.ओ. कार्यालय, सुपरवाइज़र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास जाकर इसकी इच्छा ज़ाहिर कर सकती हैं। इसके बाद संबंधित पदाधिकारी खुद ऐसी युवतियों की सूची तैयार करते हैं।

महिला कॉयर योजना

केन्द्र सरकार

महिला कॉयर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसका मक़सद ग्रामीण क्षेत्र की कारीगर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। महिला कॉयर योजना में महिला कारीगरों को ट्रेनिंग के बाद सब्सिडाइज़ कीमत पर यानी बाज़ार से कम कीमत पर मशीन और उपकरण उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के लाभ की शर्तें:

* ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह योजना है।
* ग्रामीण क्षेत्र की वे महिलाएं जिन्होंने कॉयर–कताई की ट्रेनिंग कॉयर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से लिया हो।

इस योजना के तहत मशीनों व उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी:

- इस योजना के तहत 75 प्रतिशत, अधिक से अधिक 7500 रूपये की सब्सिडी दी जायेगी।
- इस योजना से जुडने के लिए महिला कारीगर का किसी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में खाता होना ज़रूरी है।
- इन खाते में मशीन व उपकरण की लागत का कम से कम 25 प्रतिशत रकम होना आवश्यक है।

इस योजना के तहत यहां आवेदन करें

इस योजना के तहत मशीनों व उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए ऑनलाईन ttp://www.coirservices.gov.in/frm_login.aspx व फ़ॉर्म भर कर कॉयर बोर्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है। ट्रेनिंग पूरी होने के अधिक से अधिक 2 महीने बाद कॉयर बोर्ड महिला कारीगर को मशीन एवं उपकरण उपलब्ध कराएगा।

मशीनों व उपकरणों पर सब्सिडी मिलने के बाद यदि किन्हीं कारणों से उत्पादन बंद हो जाए तो:

नियम के अनुसार इस योजना में, मशीनों व उपकरणों पर सब्सिडी मिलने के बाद 3 साल से पहले किसी कारण से उत्पादन बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सब्सिडी रकम वापस करनी होगी।

योजना के तहत इन मशीन व उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगीः

इस योजना के तहत सब्सिडी निम्नतालिका के अनुसार दी जाएगीः–

क्र. सं.	मशीन व उपकरण	लाभार्थी द्वारा लगाई जाने वाली कम से कम पूंजी।	अधिक से अधिक सब्सिडी।
1	मोटर युक्त Ratt	मशीन की कीमत का 25 प्रतिशत	खरीदी गई मशीन की कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 7500 रुपए।
2	पारम्परिक मोटर युक्त Ratt	मशीन की कीमत का 25 प्रतिशत	खरीदी गई मशीन की कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3200 रुपए।
3	इलेक्ट्रॉनिक Ratt	मशीन की कीमत का 25 प्रतिशत	खरीदी गई मशीन की कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3200 रुपए।

महिला कॉयर योजना के अंतगर्त् ऊपर दिए गए मशीनों के अलावा उन महिलाओं को जिन्होंने बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, नीचे दी गईं मशीनें भी सब्सिडी कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी।

क. सं.	मशीन और उपकरण	संभावित कीमत	अधिक से अधिक सब्सिडी।
1	अनुग्रह करघा–भू टेक्सटाइल की बुनाई और चटाई बुनाई हेतु।	45000 रुपए	7500 रुपए
2	कपास हथकरघा सिलाई मशीन एवं उपकरण, गद्दों इत्यादि के निर्माण हेतु।	45000 रुपए	7500 रुपए
3	विल्लोविंग मशीन	35000 रुपए	7500 रुपए
4	फ्रेम मैट के सभी प्रकार के निर्माण	45000 रुपए	7500 रुपए
5	एकल सूत कताई ऑटोमेटिक मशीन	50000 रुपए	7500 रुपए
6	मुड़ने वाले तारों के साथ ब्रश बनाने की इकाई	45000 रुपए	7500 रुपए
7	हस्तचालित उद्यान सम्बन्धित सामग्री बनाने की इकाई	50000 रुपए	7500 रुपए
8	कॉयर मोल्डेड लकड़ी की सामग्री की विनिर्माण इकाई	50000 रुपए	7500 रुपए
9	डाईवैट सहित जूट हस्तकला और आभूषण	50000 रुपए	7500 रुपए
10	बैग/छाता/जैकेट/चप्पल/परदे इत्यादि के लिए कॉयर की सिलाई यूनिट	50000 रुपए	7500 रुपए
11	जूट शिल्प सामग्री बवाने की इकाई।	50000 रुपए	7500 रुपए
12	सामग्री के साथ कॉयर पीथ से खाद बनाने की इकाई।	50000 रुपए	7500 रुपए
13	मैनुअल डाइंग/ब्लीचिंग यूनिट	50000 रुपए	7500 रुपए

14	चटाई इकाई।	50000 रुपए	7500 रुपए
15	अन्य इकाई जो कॉयर बोर्ड द्वारा महिलाओं में रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई हो।	अमाउंट बोर्ड द्वारा अच्छे ढंग से मूल्यांकन के बाद निर्धारित किया जायेगा।	75 प्रतिशत या 7500 जो अधिकतम हो।

उद्यमी सखी मंडल योजना

झारखण्ड सरकार

यह योजना खासतौर से उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो अपना छोटा रोजगार शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना की शर्तें:

* झारखंड की मूल निवासी हों।
* कम से कम 15 महिलाओं का समूह होना चाहिए।
* इस योजना में गरीब परिवार की महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा।
* इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को 15 सदस्यों का एक समूह बनाना होगा, जिसके बाद वह आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
* केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस योजना में शामिल हो सकती है।
* इस योजना का लाभ केवल 15 महिलाओं को ही दिया जाएगा जो अपना रोजगार शुरू करने में रुचि रखती हैं।
* इस योजना से उन परिवारों को लाभ प्राप्त होगा जो पैसे की कमी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते।

उद्यमी सखी मंडल योजना के लिए आवेदन यहां करें

इस विषय में जल्द ही सरकार की गाइडलाइंस जारी होंगी। यह योजना जल्द ही शुरू होगी।

मुद्रा योजना

केंद्र सरकार

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम है –माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी।

कोई भी व्यक्ति जो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, या अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहता है, वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है। इस योजना के तहत दस लाख रुपए तक का कर्ज़ या लोन लिया जा सकता है। महिलाओं को इस लोन में प्राथमिकता दी गई है। मुद्रा लोन लेने वालों में हर तीसरी लाभार्थी महिलाएं ही हैं। सरकार का इस बात पर जोर है कि महिलाओं को अधिक से अधिक मुद्रा लोन दिया जाए। इस योजना का यह मकसद है कि आमतौर पर लोन लेने के लिए दस तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं, जिसकी वज़ह से लोग लोन लेने से कतराते थे, उन्हें दूर करके इस प्रक्रिया को आसान बनाना है।

इस योजना के तहत ये लाभ मिलेगा:

- मुद्रा योजना में बिना गारंटी के लोन मिलता है।
- इसका कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं है।
- लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है जो ए.टी.एम. कार्ड जैसा होता है, जिसकी मदद से कारोबारी ज़रूरत पर इसका इस्तेमाल करके, पैसा ले सकता है।
- इसमें बहुत कम दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है।

इस योजना में ब्याज की दर यह तय की गई है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग–अलग बैंक मुद्रा लोन के लिए अपनी अलग

ब्याज की दरें निर्धारित किए हुए हैं। लोन लेने वाला किस तरह का कारोबार शुरू करना चाहता है, या किस तरह के व्यापार के लिए उसे लोन चाहिए, उस व्यापार की सफलता के साथ कितना ज़ोखिम जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर ब्याज की दरें निर्धारित होती हैं। आमतौर पर न्यूनतम ब्याज की दर 12 प्रतिशत है।

मुद्रा लोन के आवेदन की शर्तें:

* भारतीय नागरिक होना चाहिए।
* खेती को छोड़कर को कोई भी व्यवसाय कर रहे हों या शुरू करना चाहते हों।
* कॉरपोरेट संस्था नहीं हो।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» आधार कार्ड
» वोटर कार्ड
» बैलेंस शीट
» जाति प्रमाण पत्र (अगर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियां हैं)
» इंकम टैक्स रिटर्न,
» सेल्स टैक्स

आदि की फ़ोटो कॉपी लगानी होगी।

आवेदन की प्रक्रिया:

- मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए आपको बैंक की शाखा में आवेदन करना होगा।
- ज़रूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे।
- बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज के बारे में जानकारी लेता है, उसी आधार पर आपका लोन मंजूर किया जाता है।
- आपका काम किस तरह का है या होगा इसको स्पष्ट करने के लिए हो सकता है आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने की मांग की जाए।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश में 21 सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर के 17 बैंक, 31 ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से मुद्रा लोन ले सकते हैं।
- सबसे पहले व्यवसाय की योजना बनानी होती है। इस योजना को आपको बैंक में देना होगा, उसी के आधार पर आपको लोन दिया जाएगा।

मुद्रा लोन की जानकारी के लिए टोल फ़्री नंबर और वेबसाईट है

- 18001801111
- 1800110001
- वेबसाईट– https://www.mudra.org.in

मुद्रा लोन इतने दिनों में मिल जाता है

मुद्रा लोन मिलने का कोई तय समय सीमा नहीं है। अगर मुद्रा लोन आवेदन के वक़्त सभी कागज़ात पूरे होते हैं और सब कुछ सही होता है तो सात से दस दिन के भीतर मुद्रा लोन मिल जाता है।

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना

केन्द्र सरकार

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्ग की की उन महिलाओं के लिए है जो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है व्यवसाय में पैसा नहीं लगा सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से मिलने वाले कर्ज़ की रकम पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज का भुगतान सरकार की तरफ़ से किया जाएगा। कर्ज़ देने की व्यवस्था को भी आसान किया गया है।

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना की ज़रूरी शर्तें:

* प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है।
* योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र साल से ज़्यादा और 18 साल से कम नहीं हो।
* भारत की मूल निवासी महिलाओं को ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
* महिला के पास अगर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* संबंधित बैंकों को लोन या कर्ज़ की रकम को किश्त के रूप में 30 साल के अंदर चुकाना होगा। सुविधा पर पेमेंट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
* इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। प्राइवेट बैंक में अगर खाता है तो, इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। लिहाजा राष्ट्रीयकृत या सरकारी बैंकों में ही खाता खुलवाना होगा। अगर किसी वजह से बैंक खाता चालू नहीं है तो उन्हें फिर से चालू करना होगा।

प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» निवास प्रमाण पत्र
» आधार कार्ड
» बैंक खाता
» मोबाइल नंबर
» पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
» पैन कार्ड
» आय प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के तहत कर्ज़ या लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया:

- महिलाओं को प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के तहत लोन लेने के लिए फ़ॉर्म भरना होगा। यह फ़ॉर्म जिला स्तरीय सामुदायिक केन्द्र पर फ़ॉर्म मौजूद है।
- फ़ॉर्म पर सभी ज़रूरी जानकारी दर्ज कराना होगा। अपना नाम, पिता या पति का नाम, गांव, तहसील, जिला, प्रदेश का नाम लिखना होगा।
- जन्म तिथि, जन्म स्थान, विवाहित स्थिति, शिक्षा, घर का पता, आयु आदि के बारे में लिखना।
- पारिवारिक सालाना आय की जानकारी आदि।
- फ़ॉर्म के सभी कॉलम को अच्छी तरह भरने के बाद ज़रूरी दस्तावेजों को उसके साथ अटैच करना होगा।
- अपनी नई तस्वीर लगाएं, पुरानी तस्वीर रद्द की जा सकती है।
- फ़ॉर्म पूरा होने के बाद इसे विभाग के संबधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। जमा करने से पहले फ़ॉर्म की फ़ोटोकॉपी करा लें।
- योजना के लिए ऑनलाइन भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए ऑफ़िशियल वेबसाईट wcd.nic.in/schemes/dhanlakshmi है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना

केन्द्र सरकार

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना शुरू की है। घरेलू कामगार, ड्राइवर, मोची, प्लंबर, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी, खेतीहर मज़दूर, सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत ऐसे लोगों को साठ साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने, तीन हज़ार रुपए की न्यूनतम **पेंशन** मिलेगी, साथ ही **पेंशन** पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी **पेंशन** की पचास प्रतिशत धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में मिलेगी।

इस योजना के आवेदन की शर्तें:

* असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगार ।

* जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
* इच्छुक व्यक्ति पहले से ही किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
* आवेदक की तनख़्वाह प्रति माह 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

इस योजना में पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» आधार कार्ड
» सेविंग अकाउंट नंबर (बचत खाता)
» बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड
» जनधन खाता है तो उसका नंबर
» मोबाइल नंबर

आवेदन की प्रक्रियाः

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और निम्न संस्थानों में जाकर भी कर सकते हैं–

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ़.ओ.)
- भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम
- ई.पी.एफ़.ओ.
- राज्य या केन्द्र सरकार के श्रम कार्यालय में भी जाकर इसका आवेदन किया जा सकता है।
- नज़दीकी सर्विस सेंटर पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर सकते हैं। इसकी वेबसाईट है– https://maandhan.in/ इस पेज पर जाने पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का बॉक्स दिखेगा, जिस पर क्लिक करना है। आवेदन फ़ॉर्म भरने के बाद ज़रूरी दस्तावेज इसमें सबमिट करें। यहां एक आपको 'सब्सक्राइबर आई.डी.' दी जाएगी, उसे संभाल कर रखें।

इस योजना में लाभार्थी को इतने पैसे जमा करने होंगेः

- इस योजना में जितने पैसे लाभार्थी हर महीने इस योजना के अंतर्गत् देगा, उतना ही पैसा सरकार अपनी तरफ से देगी।
- योजना में दी जाने वाली प्रतिमाह राशि (प्रीमियम) व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है। जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसका प्रीमियम या योगदान राशि उतनी ही कम होगी। यदि कोई 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपए प्रतिमाह जमा कराना होगा, इसी तरह 29 साल वाले को 100 और 40 की उम्र वाले को दो सौ रुपए देने होंगे। यह राशि 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा, उतनी ही राशि सरकार भी सदस्य के नाम से जमा कराएगी।

भवन और अन्य निर्माण मज़दूर पंजीकरण (लेबर कार्ड)

भवन और दूसरे निर्माण कार्यों से जुडे कामगारों का इसमें पंजीकरण किया जाता है, ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके।

पंजीकरण करवाने से मिलेंगे ये लाभः

- पंजीकरण के दौरान आपने परिवार के जिन सदस्यों का नाम अपने नाम के साथ दिया है यदि उनमें से किसी का विवाह हो तो विवाह के लिए 35000 रूपये 51000 रूपए तक की राशि की मदद मिलती है।
- उन नामों में से यदि कोई महिला भी शामिल है तो उसकी बीमारी या प्रसूति के दौरान 30000 रुपए की मदद मिलती है।
- हर महीने 500 रुपए से 10000 रुपए तक बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलती है।

- हर महीने 3000 रूपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है।
- दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख, प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख परिवार को मुआवजा मिलता है एवं दाह संस्कार के लिए 10 हज़ार रुपए अलग से दिये जाते हैं।
- विकलांग हो जाने की स्थिति में 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है।

पंजीकरण के लिए शर्तें:

* वे महिला व पुरुष जो भवन या अन्य निर्माण मजदूर हैं।
* जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है और जो 60 वर्ष से कम आयु के हैं।
* जिन्होंने 90 दिनों का कार्य किया हो या कर रहे हों।

पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:

» खुद के द्वारा प्रमाणित किया हुआ पत्र

» पहचान प्रमाण का कागज़

» पता प्रमाण का कागज़

» जन्म प्रमाण का कागज़

» बैंक खाता पासबुक की कॉपी

» यदि किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं तो उसका प्रमाण पत्र

(यदि अपने पास आधार कार्ड है तो केवल आधार कार्ड और बैंक खाता पासबुक से भी आवेदन किया जा सकता है। बस आधार कार्ड पर दिल्ली का पता होना चाहिए, नहीं तो पता प्रमाण कागज़ लगाना होगा)

पंजीकरण की फ़ीस:

- पंजीकरण के दौरान 20 रुपये प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क और 5 रुपए पंजीकरण शुल्क यानी 25 रुपए देने होंगे।
- इसी तरह साल 25 रुपए देकर सदस्यता नवीनीकरण कर सकते हैं।

पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रकिया:

- इस योजना के लिए दिल्ली भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के जिला स्तर कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- जिला स्तर कार्यालय की जानकारी: http://web.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dbcwwb/DBCWWB/Home/Contact+Us इस लिंक पर उपलब्ध है।
- इसी विभाग से पंजीकरण फ़ॉर्म मिलेगा, जिसे भर कर सभी ज़रूरी कागज़ों (दस्तोवज़ों) को लगा कर जमा कराया जा सकता है।
- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर पहले ख़ुद को पंजीकरण करना होगा। उसके बाद इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट का ये लिंक: https://edistrict.delhigovt.nic.in/ है।

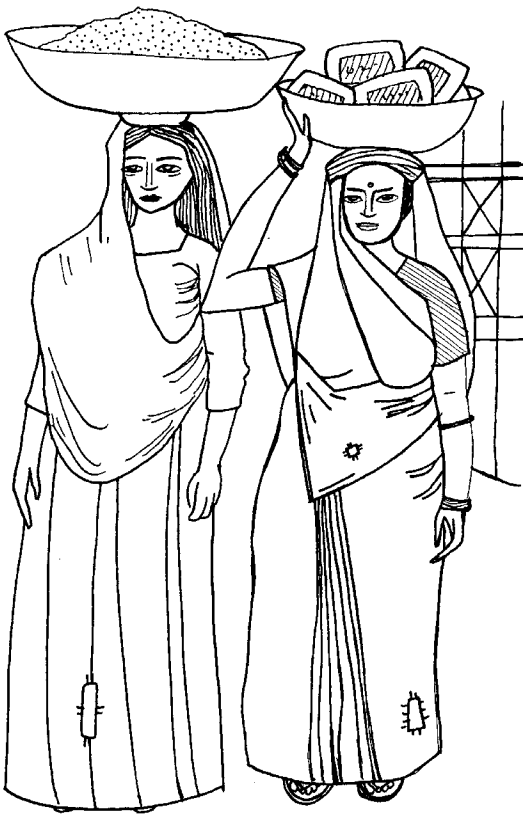

शिक्षा योजनाओं पर एक नज़र....

पिछले छह दशकों में, भारत ने देश में शिक्षा की स्थिति को मापने वाले संकेतकों– साक्षरता और नामांकन दर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1947 में, राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74 प्रतिशत की तुलना में 12 प्रतिशत थी। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के साथ–साथ अन्य अल्पसंख्यकों से संबधित, अभी तक शिक्षा के स्तर में सुधार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से 15 प्रतिशत कम है।

इसके अलावा, उच्च शिक्षा की स्थिति और भी ज्यादा अलग–थलग रहती है। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018–19 के अनुसार, बी.टेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों में 70 प्रतिशत से भी अधिक पुरुष हैं। इंजीनियरिंग संस्थानों में लड़कियों के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के बीच शिक्षण अंतर को दूर करने के लिए, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड–सी.बी.एस.ई. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में 2014 में परियोजना उड़ान शुरू की । परियोजना का उद्देश्य तीन आयामों पर ध्यान केन्द्रित करके गुणवत्ता और नामांकन दरों में अंतर को कम करना हैः 1. पाठ्यक्रम डिज़ाइन 2. लेन देन और 3. मुफ्त और ऑनलाइन संसाधन प्रदान करके मूल्यांकन इसके अलावा, उन सिंगल छात्राओं के लिए जिन्होंने सी.बी.एस.ई. की दसवीं कक्षा की परीक्षा में 6.2 ग्रेड अंक औसत या उससे ज़्यादा प्राप्त की है उन्हें सी.बी.ए.ए.स.ई. मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान करता है। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए आगे की पढ़ाई करने वाली सिंगल लड़कियों को 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसके अलावा, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंध रखने वाली लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करने के प्रयास में, केन्द्र सरकार ने 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की शुरूआत की। यह योजना उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराती है। हाल ही में, समग्र शिक्षा योजना के तहत, 150–250 लड़कियों की क्षमता वाले मौजूदा कस्तूरबा गांधी विद्यालय को उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड करने का प्रावधान किया गया था।

अगस्त 2018 तक, भारत में सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत 3703 के.जी.बी.वी. हैं, जिनमें से 3697 के.जी.बी.वी. चालू हैं, जिसमें 3.78 लाख लड़कियों का नामांकन है। अधिक समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्र सरकार ने 2012 में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक योजना, नई रोशनी योजना शुरू की। इसका उद्देश्य सरकारी प्रणालियों के साथ व्यवहार या डीलिंग के लिए आवश्यक जानकारी, उपकरण और तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास पैदा करना है। योजना के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व, निर्णय लेने, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता , डिज़िटल साक्षरता, जीवन कौशल और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन की वकालत जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 5 फरवरी, 2021 तक इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक अल्पसंख्यक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। केन्द्रीय बजट 2021–22 में इस योजना के लिए 8 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

शिक्षा

अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तीन प्रमुख योजनाएं

दिल्ली सरकार

स्किम 1– कक्षा प्रथम से कक्षा 12वीं तक ट्यूशन फ़ीस माफ़ी योजना।

ट्यूशन फ़ीस माफ़ी योजना के लिए आवेदन की शर्तें:

* दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/प्राईवेट स्कूल के विद्यार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
* जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि अल्पसंख्यक वर्ग के तहत हैं तो अभिभावकों को लिखित घोषणा पत्र देना होगा।
* अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र यदि दिल्ली के बाहर से जारी हुआ है तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में रहने का पिछले 3 साल का कोई दस्तावेज देना होगा। अगर अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो दिल्ली में रहने का पिछले 3 साल का कोई दस्तावेज देना ज़रूरी है।
* जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत् होना चाहिए।
* यह योजना एक ही कक्षा में बार–बार फेल होने वाले बच्चों पर लागू नहीं होगी।
* कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ रहे बच्चों की पहले से ही फ़ीस माफ़ है, उन्हें पढ़ाई के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी होती है। पर कक्षा 6 से कक्षा 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाने होंगे और बच्चे की स्कूल में उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी ज़रूरी है।
* बैंक खाता होना अनिवार्य है। बच्चे का सिंगल खाता या संयुक्त खाता मान्य होगा।
* फ़ीस की ऑरिज़नल कॉपी होना ज़रूरी है।

इस योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» जिनके पास जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) यदि अल्पसंख्यक वर्ग के तहत है तो अभिवाभकों के द्वारा घोषणा पत्र देना होगा।

» आय को प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र को स्व–सत्यापित या सेल्फ़ अटेस्ट करना होगा। स्व–सत्यापन का फ़ॉरमेट ई–डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की बेवसाईट www.edistrict.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

» विद्यार्थी या विद्यार्थी के पिता का अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का दिल्ली का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का है तो दिल्ली एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

» अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति में दिल्ली में रहने का तीन वर्ष का निम्न में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

» पहचान पत्र

» आधार कार्ड

» राशन कार्ड

» एम.टी.एन.एल. का फ़ोन बिल

» ड्राईविंग लाईसेंस

» दिल्ली में एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण

» बैंक पासबुक

इस योजना के अंतर्गत् मिलने वाला लाभः

जिन बच्चों के परिवारों की सलाना आय 60 हज़ार रुपए तक है, उनको 100 प्रतिशत ट्यूशन फ़ीस में होने वाले खर्च दिए जाएंगे। जिन बच्चों के परिवार की सालाना आमदनी 60 हज़ार से 2 लाख रुपए तक है, उनको 75 प्रतिशत ट्यूशन फ़ीस दिया जाएगा।

इस योजना के लिए आवेदन की प्रकियाः

- योजना का आवेदन ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in में जाकर किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जमा करना होगा।

स्कीम 2 – कक्षा प्रथम से कक्षा 12 वीं तक स्टेशनरी के लिए आर्थिक सहायता योजना।

दिल्ली सरकार

* स्टेशनरी के लिए आर्थिक योजना के लिए आवेदन की शर्तें।

* दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/प्राईवेट स्कूल के विद्यार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

* जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो।

* अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र यदि दिल्ली के बाहर से जारी हुआ है तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में रहने का पिछले 3 साल का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो दिल्ली में रहने का पिछले 3 साल का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अवश्यक है।

* जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, वो विद्यालय शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत् होना चाहिए।

* योजना का लाभ लेने के लिए पिछली कक्षा में बच्चे की स्कूल में उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत् यह लाभ मिलेगाः

योजना के तहत पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक 100 रुपए हर महीने और नौंवीं कक्षा से बारहवीं तक 200 रुपए प्रतिमाह, 10 महीनों के लिए मिलते हैं।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» जिनके पास जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) यदि अल्पसंख्यक वर्ग के तहत है तो अभिवाभकों के द्वारा घोषणा पत्र देना होगा।

» आय को प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसको स्व–सत्यापन (सेल्फ़ अटेस्ट) के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। स्व–सत्यापन का फ़ॉरमेट ई–डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाईट www.edistrict.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

» विधार्थी या विद्यार्थी के पिता का अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का दिल्ली का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का है तो दिल्ली एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

» अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति में दिल्ली में रहने का तीन वर्ष का निम्न में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
» पहचान पत्र
» आधार कार्ड
» राशन कार्ड
» एम.टी.एन.एल. का फ़ोन बिल
» ड्राईविंग लाईसेंस
» दिल्ली में एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण पत्र
» बैंक का पासबुक

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रियाः

- योजना के लिए आवेदन ई –डिस्ट्रिक्ट की वेबसाईट www.edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाईन करना होगा।

छात्रवृत्ति योजना

छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की शर्तें:

* दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/प्राईवेट स्कूल के विद्यार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
* जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख से कम हो,
* जिनके पास जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) यदि अल्पसंख्यक वर्ग के तहत है तो अभिवाभकों के द्वारा घोषणा पत्र देना होगा।
* अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण–पत्र यदि दिल्ली के बाहर से जारी हुआ है तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में रहने का पिछले 3 साल का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो दिल्ली में रहने का पिछले 3 साल का कोई दस्तावेज देना ज़रूरी है।
* जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत् होना चाहिए।

इस योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» जिनके पास जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) यदि अल्पसंख्यक वर्ग के तहत है तो अभिवाभकों के द्वारा घोषणा पत्र देना होगा।
» आय को प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसको स्व–सत्यापन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। स्व–सत्यापन का फ़ॉरमेट ई–डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाईट www.edistrict.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।
» विद्यार्थी या विद्यार्थी के पिता का अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का दिल्ली का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का है तो दिल्ली एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
» अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति में दिल्ली में रहने का तीन वर्ष का निम्न में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
» पहचान पत्र
» आधार कार्ड
» राशन कार्ड
» एम.टी.एन.एल. का फ़ोन बिल
» ड्राईविंग लाईसेंस
» दिल्ली में एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण
» बैंक का पास बुक

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रियाः

योजना के लिए आवेदन ई–डिस्ट्रिक्ट की वेबसाईट www.edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाईन करना होगा।

केस स्टडी

नामः चंद्रकला

उम्रः 38 वर्ष

जातिः जाटव (एस.सी.)

धर्मः हिन्दू

पताः डी ब्लॉक जे.जे. कॉलोनी, बवाना

योजना के लिए आवेदन/आवेदन के लिए प्रयास की तारीखः जनवरी 2019

योजना का लाभ/शामिल करने की तारीखः अगस्त 2019

योजना का नामः ई.डब्ल्यु.एस. के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब वर्ग के बच्चों का दाख़िला। चंद्रकला अपने तीन बेटियों और पति के साथ बवाना पुनर्वास कॉलोनी में रहती है। वह अपनी तीनों बेटियों की शिक्षा को लेकर काफ़ी गम्भीर है। इसलिए चंद्रकला ने अपनी बड़ी बेटी का दाख़िला प्राईवेट स्कूल में कराया, अब वे अपनी दूसरी बेटी का दाख़िला प्राईवेट स्कूल में कराना चाहती हैं। जिसके लिए चंद्रकला ने इ.डबल्यु.एस.; (आर्थिक रूप से गरीब वर्ग) कोटे के तहत आवेदन किया। आवेदन के बाद चंद्रकला कि दूसरी बेटी का नाम बवाना के सबसे बड़े स्कूलों में से एक स्कूल में आ गया। जब चंद्रकला ने स्कूल के प्रधानाचार्य को बेटी का ई.डब्ल्यु.एस. के तहत आवेदन की बात कही तो स्कूल ने दाख़िला लेने से साफ़ मना कर दिया। चंद्रकला ने भी ठान लिया था कि उसे अपनी लड़की का दाख़िला इसी विद्यालय में कराना है। अपनी इस समस्या को लेकर चंद्रकला ने लिखित में शिक्षा विभाग को शिकायत की। शिकायत करे 15 दिन बीत गये पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। चंद्रकला अपनी पहली वाली शिकायत और ई.डब्ल्यु.एस. के तहत लिस्ट की सूची लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंची। जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी ने चंद्रकला को जल्द ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पर इस बात को भी 15 दिन बीत गये और कोई कार्यवाही नहीं हुई। चंद्रकला का निश्चय इतना मजबूत था कि उसने अब शिक्षा मंत्री से खुद ही मिलने की योजना बना ली। चंद्रकला अपनी समस्या को लेकर दिल्ली सचिवालय के कार्यालय पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तो शिक्षा–मंत्री से नहीं हुई, पर विभाग के अधिकारियों ने उनकी शिकायत को दर्ज कर लिया और तुरंत फ़ोन करके उस स्कूल में संबधित अधिकारियों को डांट लगाई। अगले दिन चंद्रकला फिर से उस स्कूल में अपनी बेटी के दाख़िले को लेकर पहुंची। इस बार स्कूल ने उनकी बेटी का दाख़िला ले लिया। स्कूल में अपनी बेटी का दाख़िला कराकर चंद्रकला अब बहुत खुश है।

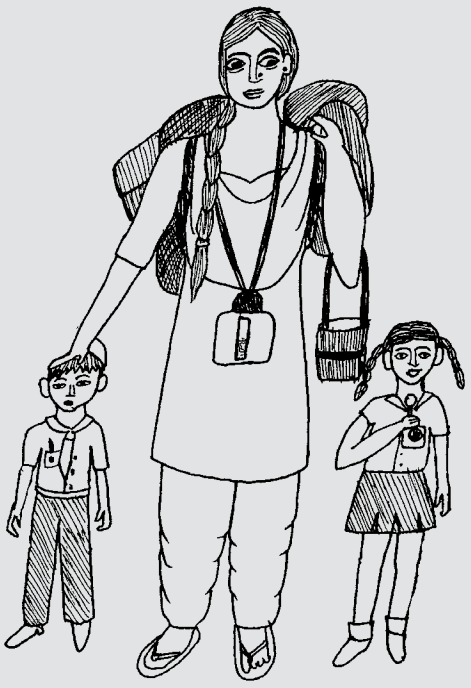

सी.बी.एस.ई. – उड़ान योजना

केन्द्र सरकार

केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड यानी सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक नई योजना लेकर आया है, जिसका नाम है 'उड़ान'। जिसके अंतर्गत् उन छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं। इसके माध्यम से छात्राओं को पढ़ाई के साथ–साथ विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें:

* इस योजना के लिए छात्राओं का चयन मेरिट और ज़रूरत के आधार पर होगा।
* उन छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके परिवार की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम है।
* इस स्कॉलरशिप के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पी.सी.एम.– फ़िज़िक्स, कैमेस्ट्री और मैथ्स में कम से कम 75 प्रतिशत नंबर आने चाहिए।
* पचहतर प्रतिशत अटेंडेंस होना चाहिए।
* साइंस और मैथ्स में कुल 80 प्रतिशत नंबर होने चाहिए।
* सी.जी.पी.ए. कम से कम आठ से नौ होने चाहिए।

लाभ की शर्तें:

आवेदन करने के बाद बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा के जरिए ऐसी होनहार छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

उड़ान योजना में ऑफ़लाइन पंजीकरण की प्रक्रिया:

चरण 1: आवेदन पत्र भरें

चरण 2: फ़ोटो अपलोड करें

चरण 3: आवेदन प्रिंट करें

चरण 4: घोषणा डाउनलोड करें

- आवेदन करने वाली छात्रा को अपने द्वारा चुने गए केन्द्र में से एक पर सत्यापन के लिए दस्तावेज के साथ प्रिंट ऑफ़लाइन फ़ॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है।
- किसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप इस ई–मेल आई.डी. पर भी संपर्क कर सकते Sa&udan.cbse@gmail.com
- आप इस नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं– 011–23214737

नई रोशनी योजना 2020

केन्द्र सरकार

अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं के लिए 'नई रोशनी योजना' शुरू किया गया है। इस योजना के तहत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी आदि समुदाय की महिलाएं शामिल होंगी। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। बहुत सी महिलाएं पढ़ी–लिखी होने के बावजूद जानकारी के अभाव में या झिझक के कारण बैंक, बिजली पानी के दफ़्तर में ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई नहीं कर पातीं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। इन महिलाओं को ज़रूरी जानकारी मुहैया करवाई जाती है।

नई रोशनी योजना 2020 की विशेषताः

- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को ज़रूरी ट्रेनिंग दे कर सशक्त करना इस योजना का लक्ष्य है।
- इस योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली यह ट्रेनिंग आवासीय और गैर आवासीय दोनों होगी।
- सभी गैर आवासीय ट्रेनिंग 6 दिनों से अधिक नहीं रहेंगे, लेकिन आवासीय लंबे समय तक हो सकते हैं। हर बैच में अधिकतम 25 उम्मीदवार होने चाहिए।
- योजना की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि सभी विकास गतिविधियां और कार्यक्रम ट्रेनिंग मॉड्यूल पर आधारित होंगे।
- जिन महिलाओं को यह ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें वजीफ़ा या भत्ता भी दिया जाएगा और साथ ही केच और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

नई रोशनी योजना के आवेदन की शर्तें:

* **आयु सीमाः** इस योजना के लिए आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 65 वर्ष है।
* **अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधितः** यह योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए है।
* **आय सीमाः** उम्मीदवार या परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
* **बी.पी.एल. प्रमाण–पत्रः** यह योजना गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए है। केवल उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा जो बी.पी.एल. श्रेणी में आते हैं।

नई रोशनी योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» आवेदक का आधार कार्ड

» आयु प्रमाण पत्र

» आवासीय प्रमाण पत्र

» बी.पी.एल. राशन कार्ड

» बैंक खाता का विवरण

» अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र

नई रोशनी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रियाः

- सबसे पहले आवेदक को OAMS (Online Application Management System) की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
- होमपेज पर आपको “New User Registration" लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डाल कर सबमिट पर क्लिक करें।
- एक रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म खुलेगा।
- यहां, नाम, पता, क्षेत्र, पिन कोड, पंजीकरण की तारीख़, पंजीकरण कोड, प्रकार, संपर्क वितरण, संगठन की उपलब्धियां, संगठन की सीमा आदि की जानकारी सही तरह से टाइप करें।

नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण मॉड्यूल में यह विषय शामिल किए जाते हैं:

- महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास
- सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन
- स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सेदारी
- महिलाओं को उनके क़ानूनी अधिकार की जानकारी
- जीवन कौशल की सीख
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का महत्व
- शैक्षिक सशक्तिकरण
- पोषण और खाद्य सुरक्षा
- सूचना का अधिकार
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
- जेण्डर भेद
- महिला हिंसा
- डिज़िटल इंडिया

- सरकारी तंत्र की बनावट
- बच्चों से संबधित सामान्य रोग और उनके रोकथाम
- परिवार नियोजन
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम और महिला समाख्या कार्यक्रम के तहत तैयार की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत् बालिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ ठहरने और भोजन की सुविधा भी दी जाती है। इसमें बारहवीं तक हॉस्टल सहित पढ़ाई की व्यवस्था होती है।

इस योजना की विशेषताएं:

- सभी बालिकाओं को मुफ़्त शिक्षा देना।
- सभी बालिकाओं को आवास उपलब्ध कराना।
- पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।
- स्कूल यूनिफ़ॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे आदि मुफ़्त में देना।
- ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र दस वर्ष से ऊपर है।
- दैनिक उपयोग वस्तुएं उपलब्ध करना।
- प्रतिमाह 100 रुपये बालिकाओं के व्यक्तिगत खाते में जमा कराना, ताकि वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें।

इस विद्यालय में आवेदन के लिए शर्त:

* इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है।
* कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों में 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह से आती हैं। जबकि 25 प्रतिशत सीटें बी.पी.एल. परिवार की लड़कियों के लिए आरक्षित है।
* सरकारी प्राइमरी स्कूल, जिला पंचायत, नगर निगम स्कूल और प्राइवेट स्कूल के कक्षा 5,6,7,8 की छात्राएं आवेदन की पात्र हैं।

इस योजना में नया क्या है?

- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना को सार्थक बनाने के लिए अब कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब बारहवीं यानी इंटर तक पढ़ाई होगी।
- अभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय कक्षा छह से आठ तक ही है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया:

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश या एडमिशन के लिए सालाना स्तर पर परीक्षा होती है, जिनमें रैंक लाने पर लड़कियों को प्राथमिक तौर पर एडमिशन दिया जाता है।
- प्रवेश परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, और बहु–विकल्पीय प्रश्न होते हैं।
- इस विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है।

दिल्ली में कस्तूरबा गांधी विद्यालय:

- 47. ईश्वर नगर, मथुरा रोड, ओपोज़िट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली, 11065
- विकास नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102
- झारखण्ड में कस्तूरबा गांधी विद्यालय
- जमचुआन, एन एच–33, टाटा रोड, रांची, झारखण्ड, 834010
- मार्गोमुण्डा, गिरिडीह रोड, जयप्रकाश नगर, गिरिडीह, झारखण्ड

- मलपहाड़ी रोड, पाकूर, झारखण्ड– 816107

हरियाणा में भी मानव संसाधन मंत्रालय ने 36 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्वीकृति दे रखी है जो हरियाणा के शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में होंगे। जिनमें से 31 विद्यालय में होस्टल की सुविधा है, आठ को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत् बारहवीं तक की शिक्षा के लिए कर दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप

सी.बी.एस.ई., सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिपः

सी.बी.एस.ई., सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना दसवीं की बोर्ड परीक्षा पास कर चुकी लड़कियों के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना है। इसमें लड़कियों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है।

इस योजना के लाभ के लिए शर्तें:

* वे माता–पिता या अभिभावक जिनकी एक ही बेटी है, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
* जिस बच्ची ने दसवीं की परीक्षा सी.बी.एस.ई. बोर्ड से दी हो।
* यह योजना ग्यारहवीं और बारहवीं की छात्रा के लिए है।
* भारत का नागरिक होना चाहिए।
* बच्ची की उम्र 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
* सभी वे लड़कियां जिन्होंने दसवीं की परीक्षा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से पास किया है और अपने माता–पिता की इकलौती संतान है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
* अकादमिक वर्ष में आवेदक का ट्यूशन फ़ीस 1500 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
* बोर्ड एन.आर.आई. या विदेशों में रहने वाले भारतीयों के आवेदन को भी मौका देता है।
* छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि 6000 रुपए होनी चाहिए।

इस योजना में आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

» दसवीं की परीक्षा का परिणाम

» आधार कार्ड – माता–पिता और लाभार्थी का

» आवासीय प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रकियाः

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं।

- फिर SINGLE GIRL CHILD SCHOLARSHIP X-2020 REG पर क्लिक करें।
- अब fresh या renewal पर क्लिक करें।
- इसके बाद पर क्लिक करें।
- अब एप्लिकेशन फ़ॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें।
- भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेना न भूलें।

छात्रवृत्ति से संबधित किसी तरह की और जानकारी के लिए यहां संपर्क करें:

छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य जानकारी के लिए सी.बी.एस.ई. के कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। पताः स्कॉलरशिप यूनिट, सी.बी.एस.ई., शिक्षा केन्द्र, दिल्ली– 110092

महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर एक नज़र:

भारत में सामाजीकरण की प्रक्रिया में बेटे को बेटी की तुलना में ज़्यादा महत्त्व दिया जाता है, जो महिला सशक्तिकरण के सभी संकेतकों को खुद ही स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला पुरुष का अनुपात 943:1000 है। इसके अलावा, महिला साक्षरता दर 65 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82 प्रतिशत है। जेण्डर आधारित गैरबराबरी को दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। यह योजनाएं शिक्षा और महिलाओं, ख़ासतौर पर हाशिए वाले समुदायों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता (दूसरे लक्ष्यों के बीच) के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती हैं।

सुकन्या समृद्धि योजनाः जिसे भारत सरकार ने जनवरी 2015 में शुरू किया है। यह लड़कियों के लिए एक छोटी बचत योजना है जो जन्म से शुरू होती है और जब बच्ची दस साल की उम्र की हो जाती है तब तक यह चलती है। नवंबर 2017 में इस योजना के तहत पूरे देश में बच्चियों के नाम से 1.26 करोड़ से भी ज़्यादा खाते खुले, जिनमें लगभग 19,183 करोड़ रुपए जमा हुए।

वर्किंग विमेन हॉस्टलः शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में उन महिलाओं के लिए जो वर्किंग हैं और अपने परिवार से दूर रहती हैं, या अपना प्रोफ़ेशनल करियर बनाने की कोशिश में लगी हैं, उनके लिए सुरक्षित सुविधाजनक आवास की बहुत कमी है। इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वर्किंग विमेन हॉस्टल' योजना की शुरूआत की गई, ताकि महिलाओं को उनकी काम की जगह के आसपास ही सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सकें। ये हॉस्टल उनके बच्चों के लिए 'डे केयर' सुविधा भी देते हैं। इस योजना के शुरू होने के बाद से 6 मार्च 2020 तक इस योजना के तहत इस तरह के देश भर में 962 हॉस्टल को सरकार की स्वीकृति मिली, जिससे अनुमान है कि 73,307 महिलाओं को लाभ मिला।

बालिका समृद्धि योजनाः समाज और परिवार का लड़कियों के जन्म, शिक्षा और आज़ादी के प्रति सकारात्मक नज़रिया बने इस मकसद से वर्ष 1997 में यह योजना शुरू की गई है। वर्ष 1997 से वर्ष 2005 तक सरकार द्वारा इस योजना के लिए कुल 216.15 रुपए जारी किए गए हैं। हालांकि वर्ष 2007 में यह योजना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया।

इसके अलावा, राज्य सरकारों की भी, महिलाओं की बेहतरी उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार की **लाडली योजना** जिसका मकसद युवा महिलाओं को वित्तीय और शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। वर्ष 2008 में शुरू की गई इस योजना को फंड स्टेट बैंक देता है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019 दिसंबर तक इस योजना के लिए कुल 1.183 करोड़ रुपए तय किए थे, जिनमें से 1.113 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया था। दिसंबर 2019 तक, दिल्ली सरकार ने 10.28 लाख लड़कियों के नाम योजना के तहत दर्ज किए हैं।

इसके अलावा, देश के लिंगानुपात में सुधार करने के लिए झारखण्ड सरकार ने 2011 में **मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी** योजना की शुरूआत की, जो बी.पी.एल. परिवार की बच्ची के जन्म के समय मां के प्रसव पर आने वाला खर्च, बच्ची की शिक्षा, और बच्ची की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत सभी बी.पी.एल. परिवारों को, जब तक बच्ची पांच साल की आयु तक नहीं पहुंच जाती है, हर साल 6000 रुपए

की राशि दी जाती है। उसके बाद जैसे–जैसे बच्ची स्कूल की कक्षा में उत्तीर्ण होती जाती है, एक निश्चित राशि उसके खाते में जमा होती जाती है। हालांकि संस्थागत प्रसव कम होने के कारण वर्ष 2011–14 के दौरान लाभार्थियों का कवरेज 18 से 28 प्रतिशत तक ही था। झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार इस योजना के तहत वर्ष 2017–18 के दौरान 2,42133 लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया था।

अंत में, महिलाओं को पूरी तरह सशक्त बनाने के लिए, ज़रूरी है कि उनकी पहुंच जानकारियों और सूचनाओं तक भी हो। जो कि महिलाओं को सरकारी संस्थाओं के बारे अधिक जानकार और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सरकार के कामकाज से संबंधित जानकारी निश्चित समय सीमा के अंदर व्यवस्थित तरीके से जनता तक पहुंचाती है। वर्तमान में, यह योजना जम्मू को छोड़कर देश के हर राज्य में लागू है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनीशिएटिव के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2012–13 और वर्ष 2018–19 के बीच, केन्द्र सरकार के तहत आने वाली विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के लिए डाली गई आर.टी.आई. की संख्या 83 प्रतिशत बढ़ी है, यानि 8.86 लाख से बढ़कर 16.3 लाख हो गई। हालांकि, इस अवधि के दौरान इन आर.टी.आई. को संभालने के जनादेश की संख्या में केवल 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बताता है कि आर.टी.आई. अपीलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

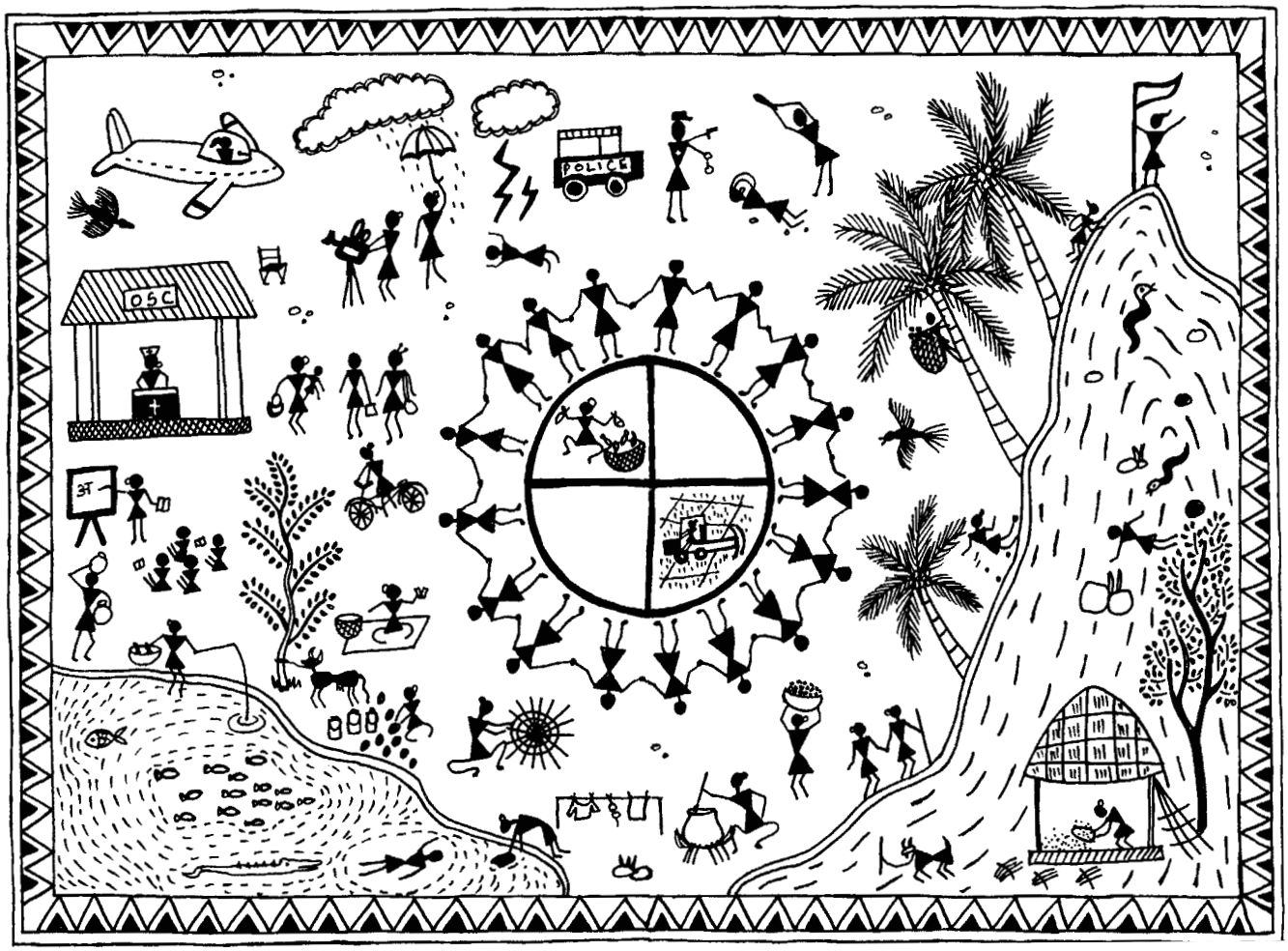

महिला सशक्तिकरण

लाडली बेटी योजना

दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार द्वारा लड़कियों की स्थिति को सुधारने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए लाडली योजना शुरू की गई है। इस योजना में जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार अलग–अलग चरण में आर्थिक सहायता ज़रूरतमंद लड़कियों को देती है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है।

इस योजना का लाभ इन्हें मिलेगा

- यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो कि दिल्ली में रहने वाले हैं।
- इसमें केवल वे लड़कियां ही पंजीकृत हो सकती हैं, जिन्होंने दिल्ली की सीमा के अंदर जन्म लिया है। यदि बच्ची के परिवार वाले दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, किन्तु योजना शुरू होने के तीन साल पहले से यहां रह रहे हैं तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से ज़्यादा न हो।

योजना की शर्तें:

* आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
* परिवार की सालाना आय एक लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
* योजना का लाभ केवल परिवार में दो लड़कियों को ही मिलेगा।
* इस योजना के लिए लड़की का स्कूल में पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, वह स्कूल दिल्ली की सीमा के अंदर होना चाहिए, साथ ही उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

लाडली योजना में बच्ची को मिलने वाला लाभ:

लाडली योजना में बच्ची को 35 हज़ार रुपए पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। लाडली योजना में बच्ची को पैसे एक मुश्त नहीं मिलते हैं, कई किश्तों में मिलते हैं:

- अगर एक लड़की दिल्ली के अस्पताल या नर्सिंग होम में पैदा होती है तो उसे 11,000 रुपए का लाभ मिलता है।
- यदि कोई लड़की अस्पताल में नहीं; बल्कि घर में पैदा होती है तो 10,000 रुपए का लाभ मिलता है।
- इस योजना में 5000 रुपए की सहायता– कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 में प्रवेश के समय, कक्षा 10 पास करने के बाद और कक्षा 12 में एडमिशन के लिए मिलती है।

इस योजना में मिले पैसे का इस्तेमाल पढ़ाई और व्यवसाय के लिए:

इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल लड़की या उसका परिवार लड़की की पढ़ाई, लड़की के लिए छोटा व्यापार या लड़की के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कर सकता है। इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे किसी काम के लिए नहीं किया जा सकता है।

योजना में पंजीकरण के लिए दस्तावेज:

» पता प्रमाण (दिल्ली मे तीन साल का निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल)

» माता–पिता का आय प्रमाण पत्र

» बालिका का जन्म प्रमाण पत्र

» परिवार की तस्वीर (नई तस्वीर)

» आवेदक का जाति प्रमाण पत्र

» बच्चे और माता–पिता का आधार कार्ड

आवेदन कैसे करें:

- आप ऑफ़लाइन फ़ॉर्म जमा करा सकते हैं।
- आप भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क कर सकते हैं। वहां से फ़ॉर्म लेकर भरें और वहीं जमा करा दें। आपके फ़ॉर्म को स्वीकृति मिल जाएगी तो राशि आपके खाते में आने लगेगी।
- सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से संपर्क करें, जहां बच्ची को प्रवेश दिलाना चाहते हैं, वहां से फ़ॉर्म लेकर वहीं जमा करा दें।
- सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

आवेदन की प्रक्रिया:

- फ़ॉर्म लेने के बाद इसमें पूछी जाने वाली सभी जानकारी भरें जैसे नाम, पता, जन्म–तिथि, माता–पिता की जानकारी, स्कूल का नाम आदि।
- यहां पर एक और बॉक्स दिया होगा, जहां उम्मीद्वार की जाति पूछी जाएगी। उसमें आपकी जो जाति है उसे टिक करें।
- इस फ़ॉर्म में उम्मीद्वार का आधार नंबर भरना भी ज़रूरी है।
- इसके अलावा फ़ॉर्म में परिवार की सालाना आय, बच्ची के स्कूल की जानकारी जिसमें वे पढ़ाई कर रही है, यह भी भरना होगा। यह सभी जानकारी भर लेने के बाद इसकी एक बार जांच कर लें कि फ़ॉर्म में सही जानकारी भरी है या नहीं।
- इसके बाद आप फ़ॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को लगा दें। इसमें आपको अपनी एक फ़ोटो भी लगानी होगी। अंत में फ़ॉर्म सबमिट कर दीजिए।

इस योजना का लाभ स्कूल में प्रवेश के बाद भी:

वे लड़कियां जो स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपने सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। अलग से यह दस्तावेज भी लगाना होगा जो बताता हो कि लड़की स्कूल में पढ़ रही है, किन्तु इन उम्मीद्वारों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्कूल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या सरकारी स्कूल हो।

दिल्ली लाडली योजना के तहत मिलने वाला पैसा कहां और कैसे मिलेगा?

- अठारह साल पुरे होने के बाद लड़की इस योजना में मिलने वाले पैसों के लिए क्लेम कर सकती है।
- इसके लिए उसके नाम का बैंक में बचत खाता होना चाहिए।
- ऑफ़लाइन क्लेम के बाद पैसा सीधे खाते में आ जाएगा।
- एस.बी.आई. खाते से पूरे पैसे निकालने का अधिकार उस लड़की को ही मिलेगा।
- इसके अलावा यदि उसने दसवीं कक्षा को रैग्युलर क्लास करके पास किया हो या फिर जब उसने बारहवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, तो वह अपने खाते से पैसा निकाल सकती है।

दिल्ली लाडली योजना का हैल्पलाइन नंबर

- 1800229090
- दिल्ली लाडली योजना की वेबसाईट: http://wcd.nic.in//

सुकन्या समद्धि योजना

केन्द्र सरकार

सुकन्या समृद्धि योजना बचत योजना है जो बेटियों के लिए है। इस योजना में बेटी के इक्कीस साल पूरे होने पर उसकी शिक्षा और ज़रूरतों के लिए एकमुश्त राशि

मिलती है। यह राशि कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी राशि इसमें जमा करवाते हैं।

- सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में बेटी के नाम से एक साल में दो सौ पचास रुपए से लेकर एक लाख पचास हज़ार रुपए जमा किया जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत् खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु 10 साल से कम होनी चाहिए।
- यह पैसा खाता खुलने के बाद 14 साल तक ही जमा करवाना होगा और यह खाता बेटी के 21 साल होने पर ही पूरी तरह से तैयार माना जाएगा।
- इस योजना के नियम के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर बेटी के 18 साल होने पर आधा पैसा निकलवाया जा सकता है।
- बेटी के 21 साल की होने पर खाता बंद हो जाएगा और पैसा खाता धारक यानी बेटी को मिल जाएगा।
- अगर निर्धारित समय में खाते में पैसा जमा नहीं किया जाएगा तो 50 रुपए का जुर्माना लगेगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर क़ानून की धारा 80–जी के तहत छूट दी जाएगी।
- यह खाता दो बेटियों के नाम पर खुलवाया जा सकता है।
- जुड़वां होने पर उसका सबूत देकर ही अभिभावक या माता पिता, तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अभिभावक खाते को कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजः

» आधार कार्ड।

» बच्ची और माता पिता की तस्वीर। (तस्वीर बिल्कुल नई हो)

» बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र।

» बच्ची के माता–पिता या अभिभावक का पहचान पत्र–पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट मान्य है।

» बच्ची के माता पिता या अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र–पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफ़ोन बिल, पानी का बिल मान्य है।

सुकन्या समृद्धि खाता ऐसे खोला जा सकता हैः

- अगर आप इस योजना के अंतर्गत् बचत खाता खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का फ़ॉर्म डाउनलोड करें या बैंक से लें।
- फ़ॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें। फ़ॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज लगाएं।
- फिर जिस बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में आप बेटी का खाता खोलना चाहते हैं, वहां भरे हुए आवेदन फ़ॉर्म, दस्तावेज और राशि को जमा कराएं।

खाते में हर साल न्यूनतम राशि जमा कराना ज़रूरी है।

- नियम के अनुसार अगर हम खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं तो खाते को बंद माना जाएगा।
- खाते को जारी रखने के लिए लगातार 15 साल तक उसमें पैसा जमा करते रहना पड़ेगा।
- यदि आपके पैसा नहीं जमा करने पर खाता बंद हो गया है तो उसे फिर से चालू करने के लिए पोस्ट ऑफ़िस या बैंक की शाखा पर जाएं और उसे फिर से चालू करने का निवेदन करें।
- अनुरोध फ़ॉर्म जमा करने के अलावा आपको भुगतान न करने के लिए न्यूनतम 250 रुपए प्रति वर्ष और जितने समय तक के लिए आपका खाता बंद था, 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा।

केस स्टडी

नामः— जानकी

उम्रः— 25 वर्ष

जातिः— जाटव (एस.सी.)

धर्मः— हिन्दू

पताः— फेज़—3 मदनपुर खादर, जे.जे. कॉलोनी।

योजना के लिए आवेदन की तारीखः— अगस्त, 2019

योजना का लाभ/शामिल करने की तारीखः— सितम्बर, 2019

लाडली योजना

जानकी की शादी को अभी कुछ समय ही हुआ था कि उसके साथ ससुराल में मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद से जानकी अपने पति से अलग अपनी मां के घर में रहने लगी। जानकी ने जब पति का घर छोड़ा तब वह गर्भवती थी। जनवरी 2019 में उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की पढ़ाई, देखभाल को लेकर उसकी आंखों में कई सपने थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास कोई आर्थिक संबल नहीं था। जानकी ने लाडली योजना के बारे में सुना था, पर आवेदन कब और कहां करना है इसकी जानकारी उसे नहीं थी। उसी दौरान जानकी की मुलाकात जागोरी के घरेलू कामगार महिला समूह से हुई। उन्होंने जानकी को लाडली योजना में आवेदन की जानकारी दी। आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी, उसे यह भी बताया गया कि आवेदन में बेटी के पिता के हस्ताक्षर की ज़रूरत भी है। जानकी के लिए यह संभव नहीं था कि वह उस आवेदन में बच्ची के पिता का हस्ताक्षर करवा सके। उसने सोचा वह विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी यह समस्या रखेगी तो वह उसकी दिक़्क़त को समझेंगे। अगले ही दिन जानकी अपनी बेटी का लाडली आवेदन फ़ॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर महिला एवं बाल विकास कार्यालय पहुंची। विभाग के अधिकारियों ने आवेदन फ़ॉर्म में बेटी के पिता के हस्ताक्षर और बेटी के पिता के आधार कार्ड की मांग की। जानकी ने अपनी पूरी समस्या विभाग के अधिकारियों के सामने रखी पर अधिकारी ने जानकी की एक बात न सुनी और फ़ॉर्म को जमा करने से मना कर दिया।

जागोरी कार्यकर्ताओं ने जानकी के पति से फ़ोन पर बात की। पहले तो जानकी के पति ने आनाकानी की, फिर काफ़ी समझाने के बाद वह खादर आकर फ़ॉर्म में हस्ताक्षर करने व अपना आधार कार्ड की कॉपी देने को तैयार हो गया। अब इन सभी दस्तावेजों को लेकर अगस्त 2019 में जानकी फिर महिला एवं बाल विकास कार्यालय गई। इस बार जानकी के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। सितम्बर, 2019 में जानकी को महिला एवं बाल विकास कार्यालय द्वारा एक पत्र आया, जिसमें उनकी बेटी का आवेदन लाडली योजना में सफलतापूर्वक हो गया है, इसकी जानकारी दी गई।

सुकन्या समृद्धि खाते को अगर समय से पहले बंद करना हो–

- जिस बच्ची के नाम पर खाता है उसकी अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख़ से खाता बंद कर दिया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफ़िकेट देने पर खाते की राशि पर अभी तक जितना ब्याज बना है, उसका भुगतान अभिभावक को कर दिया जाएगा।
- यदि खाता खोलने के बाद खाता धारक बच्ची दूसरे देश की निवासी बन जाती है, तो दूसरे देश की नागरिकता बच्ची को जिस तारीख़ से मिली है उस तारीख़ से एक महीने के अंदर, अभिभावक या खाता धारक बच्ची को बैंक या डाकघर में, जहां ये खाता है, इस संदर्भ में सूचना देनी होगी। इस तरह के खाते में जिस तारीख़ से नागरिकता बदली है, खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस स्थिति में खाते को बंद माना जाएगा और खाता में जमा रकम और ब्याज खाता धारक को या उसके अभिभावक को वापिस कर दिया जाएगा।
- नए नियम के अनुसार खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति बालिका की मृत्यु या दया के आधार पर दी जाएगी। यह दया वाले पहलू के उदाहरणों में देख जा सकता है–खाता धारक के जीवन को ख़तरा हो उस स्थिति में इलाज के लिए या अभिभावक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में।

अगर समय से पहले खाते में से कुछ पैसा निकालना होः

- खाता धारक बच्ची को अगर निर्धारित समय से पहले कुछ पैसे की ज़रूरत हो जिसका संबंध शिक्षा या शादी से है तो वह अपने खाते में से कुछ पैसे निकाल सकती है।
- इस खाते से निकाले जाने वाले साल से पिछले साल तक जमा रकम का 50 फ़ीसदी निकाला जा सकता है।
- वह तब ही अपने खाता से पैसे निकाल सकती है जब उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई हो।
- खाते में से रकम निकालने के लिए आवेदन और जिस संस्थान से वह पढ़ाई करना चाहती है वहां का एडमिशन ऑफ़र या फ़ीस स्लिप की ज़रूरत होती है।

केवल दो बेटियों के लिए ही इस योजना का लाभ मिल सकता है, कुछ ख़ास स्थितियों में तीन।

अगर दो बेटियां जुड़वां हैं और फिर एक और बेटी है तो इसका लाभ तीनों बेटियों को मिलेगा। अब आपको बेटी के बर्थ सर्टिफ़िकेट के साथ एक हलफ़नामा भी लगाना होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता में पैसा नकद, चैक, डिमाण्ड ड्राफ़्ट और फ़ॉर्म ऑफ़लाइन जमा कर सकते हैं।

बच्ची 18 की होने पर खुद अपने इस खाते का संचालन कर सकती है।

जिस बच्ची के नाम पर खाता है, वह जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक अपने खाते का संचालन अपने हाथ में नहीं ले सकती है। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफ़िस में जमा कराना होगा, जिसके बाद बच्ची अपने खाते का संचालन खुद कर सकेगी।

पोस्ट ऑफ़िस के अलावा इन बैंकों में यह खाता खुलवाया जा सकता हैः

पोस्ट ऑफ़िस के अलावा एस.बी.आई., आई.सी.आई. सी.आई., पी.एन.बी., एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ़.सी. आदि बैंकों में अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं।

वर्किंग विमेन हॉस्टल योजनाः
केन्द्र सरकार

बहुत सी महिलाएं रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़कर बड़े शहरों और कस्बों की तरफ़ रुख करती हैं। उन्हें सुरक्षित आशियाना उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है।

इस योजना का लाभ लेने की शर्तेः

गैर सरकारी, शिक्षा और पब्लिक सेक्टर में कार्यरत् महिलाएं हीं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

* आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
* विधवा, तलाकशुदा अविवाहित नौकरीपेशा महिलाएं या जिनके पति या तत्काल परिवार उसी शहर में नहीं रहते हैं।
* समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
* शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं को सीट में आरक्षण दिया जाता है।
* महिलाएं जो नौकरी के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं, उनकी ट्रेनिंग पीरियड एक साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
* कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा लेने के लिए उनका प्रतिमाह आय, महानगरीय शहरों में जैसे दिल्ली में 50,000 रुपए और छोटे शहरों में 35000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

हॉस्टल की सुविधा लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेजः

- पहचान के लिए इनमें से एक–आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड पासपोर्ट आदि की कॉपी।
- कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र।
- टेलीफ़ोन या मोबाइल नंबर।

ऐसे करें आवेदनः

- जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर या जिला मेजिस्ट्रेट या नगर पालिका आयुक्त से संपर्क करें।
- या जिला समाज कल्याण अधिकारी या प्रोबेशन ऑफ़िसर या किसी अन्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि से संपर्क करें।
- इस योजना के तहत ज़िले में इस परियोजना को लागू करने वाले गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के प्रतिनिधि से भी संपर्क कर सकते हैं।

क्या इन हॉस्टल में महिला के साथ उनके बच्चे भी रह सकते हैं?

कामकाजी महिलाओं के बच्चे (लड़कियों 18 वर्ष की उम्र तक और लड़कों को पांच वर्ष की उम्र तक) अपनी मां के साथ रह सकते हैं।

महिलाएं कितने समय तक हॉस्टल की सुविधा ले सकती हैं?

हॉस्टल की सुविधा का लाभ महिलाएं अधिकतम तीन साल तक उठा सकती हैं।

- यदि महिला का वेतन निर्धारित आय से अधिक बढ़ जाता है तो उसे आय बढ़ने के छह महीने के अंदर हॉस्टल खाली करना पड़ता है।

महिला समृद्धि योजना

हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में निम्न व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 60,000 रुपए तक का कर्ज़ 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

आवश्यक शर्तें

* महिला अनुसूचित जाति या जनजाति की हो।
* 18 से 45 साल तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
* व्यवसाय या रोजगार की ठोस योजना होनी चाहिए।
* महिला का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।

* राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
* जिनके पास आय का कोई और साधन न हो।
* बी.पी.एल. श्रेणी में आनेवाली महिलाओं को इस योजना के तहत 10000 रुपए तक की अनुदान राशि भी दी जाएगी।
* जिनके परिवार की आय 3 लाख रुपए सालाना से कम है, वही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजः

» हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र
» बैंक का पासबुक
» आधार कार्ड की कॉपी
» आयु प्रमाण पत्र
» आय प्रमाण पत्र
» अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र
» मोबाइल नंबर
» पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। (बिल्कुल नया)

योजना के लिए आवेदन ऐसे करें:

आवेदन करने के लिए सरल पोर्टल की ऑफ़िशियल वेबसाईट पर होम पेज पर जाकर योजना का नाम डालना होगा और दिए गए फ़ॉरमेट में आवेदन करना होगा। इसके लिए आप किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की भी मदद ले सकती हैं।

बालिका समृद्धि योजना

केन्द्र सरकार

बालिका समृद्धि योजना में बेटी के जन्म पर सरकार की तरफ से पांच सौ रुपए उपहार के तौर पर दिए जाते हैं और दसवीं तक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत डाकघर में एक हज़ार रुपए में खाता खोला जाता था, जिसे घटाकर अब केवल 250 रुपए कर दिया गया है। छात्रवृत्ति की राशि लड़की के खाते में जमा होती जाती है, जिस पर बने ब्याज का लाभ भी लड़की को मिलता है।

छात्रवृत्ति के पैसे ऐसे मिलेंगे:

- छात्रवृत्ति के पैसे लड़की अठारह वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही निकाल सकती है।
- पहली किश्त, यानी जन्म के बाद का किश्त बच्ची की मां को दी जाएगी। बाकी किश्तें लाभार्थी लड़की के ख़ाते में जमा होंगी।
- एक से तीन प्रत्येक वर्ग के लिए 300 रुपए प्रति वर्ष, कक्षा चार में 500 रुपए प्रति वर्ष, कक्षा पांच में 600 रुपए प्रति वर्ष, कक्षा छह और सात के लिए 700 रुपए कक्षा आठ में 800 रुपए और कक्षा नौ और दस में प्रत्येक वर्ग के लिए 1000 रुपए प्रति वर्ष लड़की के खाते में जमा होंगे।
- ये पैसे नक़द में नहीं मिलेंगे, वह लड़की के खाते में आएंगे।

बालिका समृद्धि योजना में आवेदन की शर्तें:

* गरीबी रेखा से नीचे के आय वर्ग के परिवारों की लड़कियां इसमें शामिल हैं।
* लाभार्थी बालिका का खाता एक ब्याज देने वाला खाता होना चाहिए। साथ ही बालिकाओं के नाम से एक ही खाता खोला गया होना चाहिए।
* अधिकतम लाभ उठाने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि बालिका के माता–पिता पी.पी.एफ़. या सार्वजनिक भविष्य निधि जैसे बैंक खातों की तलाश करें।
* राशि वापिस लेने के समय लड़की अविवाहित हो। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र वह ग्राम पंचायत/नगर पालिका से ले सकती है। यह प्रमाण पत्र उसे जमा कराना होगा, जो बताता है कि वह बैंक या डाकघर से राशि का दावा करने के समय अठारह वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी थी और अविवाहित थी।
* लड़की अठारह साल की उम्र से पहले शादी कर लेती है, तो उस मामले में, उसे केवल 500 रुपए और ब्याज की राशि का भुगतान किया जाएगा, जबकि छात्रवृत्ति की जमा राशि और ब्याज की वार्षिक राशि नहीं दी जाएगी।

* यदि 18 वर्ष की आयु से पहले बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो लड़की की मृत्यु तक जमा की गई राशि माता– पिता को प्रदान कर दी जाएगी।

बालिका समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

» माता–पिता या क़ानूनी अभिभावकों का पता प्रमाण।

» लड़की का जन्म प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि लड़की का जन्म 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद भारत में हुआ था। माता–पिता संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें संपर्क:

- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- इस योजना के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से फ़ॉर्म भरे जा सकते हैं।
- आवेदन फ़ॉर्म ई–सिविल सर्जन, शहरी क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, नगर पालिका अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी, जिला पंचायत कार्यालय, ग्राम प्रधान या डाकघर में भी उपलब्ध है।
- ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भरने के लिए आपको इस योजना के लिंक पर जाना होगा, जिससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- वेबसाईट के लिंक पर क्लिक करने के बाद आप बालिका समृद्धि योजना के लिए आवेदन पत्र देख सकेंगे, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग हैं। आप ज़रूरत के अनुसार किसी भी फ़ॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे भरकर संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री लाडली योजना 2020

झारखंड सरकार

मुख्यमंत्री लाडली योजना में बच्ची के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है।

इस योजना के लाभ:

- हर साल 6000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा खाते में डाली जाएगी।
- यह राशि जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक मिलेगी
- पांच साल की उम्र तक कुल 30 हज़ार रुपए की राशि मिलेगी।
- यह राशि बच्ची की शिक्षा के लिए दी जाएगी।
- छठी कक्षा में 2000 रुपए दिए जाएंगे।
- नौवीं कक्षा में 4000 रुपए दिए जाएंगे।
- 11वीं, 12वीं में 7500 रुपए दिए जाएंगे।
- योजना की अवधि पूरी होने पर 1 लाख 8 हज़ार रुपए दिए जाएंगे।
- यदि लड़की की शादी 18 साल पूरा होने से पहले हो जाती है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इतना ही नहीं 11वीं और 12वीं कक्षा में इन बच्चियों को अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अलावा प्रतिमाह बतौर छात्रवृत्ति 200 रुपए दिए जाएंगे।
- बालिका की आयु 21 वर्ष होने और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर उसे एकमुश्त एक लाख आठ हज़ार 600 रुपए दिए जाएंगे, बशर्ते कि उसकी शादी 18 वर्ष के बाद हुई हो।

मुख्यमंत्री लाडली योजना 2020 शर्तें:

* लाडली योजना केवल लड़कियों के लिए है।
* वह गरीबी रेखा के नीचे हो या उसके परिवार की सालाना आय 27000/– रुपए तक हो।

* दंपत्ति द्वारा अधिकतम दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
* बालिका का जन्म 15 नवंबर 2010 को या उसके बाद हुआ हो।
* अगर माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो परिवार नियोजन की शर्त बेमानी हो जाएगी, लेकिन उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ज़रूरी होगा।
* यदि अनाथ/गोद ली गई बालिका है, तो पहली बालिका मानी जाएगी।
* यदि जुड़वां हों तो दोनों बच्चियों के लिए योजना मान्य होगी।
* दूसरी बेटी के मामले में यह तभी मान्य होगी जब माता या पिता के नसबंदी का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
* अनाथ बालिका होने पर जन्म के 5 साल तक किया गया पंजीकरण मान्य होगा।
* जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन देना अनिवार्य होगा, एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं होगा।
* प्रसव अस्पताल या डिस्पेंसरी में होना चाहिए और उस अस्पताल/पंचायत/नगर निकाय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
* बालिका के छठी कक्षा में पहुंचने पर होने वाले पहले भुगतान के लिए–

■ संबंधित परियोजना अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बालिका का आधार पहचान पत्र बनाया जा चुका है।

■ किसी भी भुगतान के समय लाभार्थी और उनके परिजनों का आधार पहचान पत्र होना ज़रूरी होगा।

इन स्थितियों में योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा:

- यदि बच्ची का इस योजना में पंजीकरण सही तरीके से हुआ हो, लेकिन यदि वह योजना के किसी भी स्तर पर तय योग्यता है, उसे वह पूरा नहीं कर पा रही हो (यानि कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, या 12वीं से पहले ही स्कूल छोड़ देती है) तो उसे इस योजना का लाभ उसी समय से नहीं मिलेगा।
- अगर लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- यदि बालिका की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- ऐसी किसी भी स्थिति में सारी राशि राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया:

- आवेदक को अपने आंगनवाड़ी केंद्र में मिलने वाले आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।
- अनाथ बालिका के मामले में अनाथालय/संरक्षण गृह के सुपरिटेंडेंट द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश करने से लेकर 6 साल पूरे होने तक संबद्ध परियोजना अधिकारी को आवेदन देना होगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज:

» जन्म प्रमाण पत्र,
» आय प्रमाण पत्र,
» बी.पी.एल. कार्ड की कॉपी
» आधार कार्ड की कॉपी,
» माता–पिता का आधार कार्ड भी दिया जाना चाहिए।
» वह झारखंड के स्थाई निवासी हो।
» दो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो।

सूचना का अधिकार क़ानून-2005

आपका अधिकार आपकी ज़िम्मेदारी

सूचना का अधिकार क़ानूनः

सूचना का अधिकार क़ानून हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी सरकारी विभाग और सरकार के साथ साझेदारी से चल रही प्राईवेट कम्पनियों से संबधित कोई भी जानकारी इस क़ानून के अंतर्गत् उस संबधित संस्थान से हम मांग सकते हैं। बस केवल ऐसी जानकारी हम नहीं ले सकते, जिसका संबध देश की सुरक्षा या किसी व्यक्ति के निजी ज़िंदगी से जुड़ी हो।

इस क़ानून का इस्तेमाल हम कर सकते हैंः

हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और टैक्स देता है, वो इस क़ानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यह तो मालूम ही है कि जब हम जब भी कोई सामान बाज़ार से खरीदते हैं (माचिस की डिबिया से लेकर बड़े सामान तक), तो दिए पैसे में से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। इसका मतलब हम सब टैक्स देते हैं।

इस क़ानून का इस्तेमाल ऐसे करेंः

- इस क़ानून को इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है। अपने सवालों को एक कागज़ में लिखें। उसे लिफ़ाफ़े में डालें और उसे संबधित कार्यालय जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, वहां इसे जाकर जमा करवा दें।
- आप खुद नहीं वहां जाना चाहते तो आप इसे डाक के ज़रिए भी भेज सकते हैं।
- हर कार्यालय में एक जनसूचना अधिकारी होता है, जिसे आपके पूछे गये सवालों का 30 दिनों के अंदर लिखित जवाब देना होता है।

जानकारी लेने के लिए मामूली सी फ़ीसः

- अगर आपके पास राशन कार्ड है और उसमें PR-S लिखा है तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बस राशन कार्ड की कॉपी चिट्ठी के साथ लगानी है।
- पर अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है या उसमें PR-S नहीं लिखा है तो 10 रुपए की फ़ीस देनी होगी।
- या डाकघर से 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर खरीद कर अपनी चिट्ठी में लगाकर भी दे सकते हैं।

अगर हमारे सवालों का जवाब 30 दिनों में नहीं आता तो हमें यह करना चाहिएः

- अगर आपके सवालों का जवाब 30 दिनों में नहीं आता या जो सवाल आपने पूछे हैं, उनका जवाब सही नहीं हो, तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं।
- इसके लिए एक सादे कागज़ पर प्रथम अपील में जाने का कारण लिख कर उसे उसी विभाग में जमा कर सकते हैं।
- इसके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी होती।
- हर विभाग में एक प्रथम अपील अधिकारी होते हैं, जो आपके मामले की सुनवाई करते हैं। प्रथम अपील अधिकारी को आपकी सुनवाई 30 दिनों के अंदर करनी होती है।
- यदि आपकी सुनवाई 30 दिनों के अंदर नहीं होती या आपकी सुनवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सूचना आयोग में लिखित शिकायत या दूसरी अपील, कर सकते हैं।

सूचना के अधिकार क़ानून की चिट्ठी ऐसे लिखें:

सूचना के अधिकार क़ानून की चिट्ठी लिखने का एक तरीका नीचे दिया है:–

सेवा में

जन सूचना अधिकारी,

(यहां जिस विभाग में यह चिट्ठी भेज रहे हैं

उस विभाग का नाम और उसका पता लिखना है।) दिनांक:

विषय:– सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम 19 (1) के तहत पत्र

महोदय,

कृपया मुझे निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

धन्यवाद

सूचना प्राप्तकर्ता का नाम

:– सूचना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

:– सूचना प्राप्तकर्ता का पता

:– (यदि राशन कार्ड लगा रहे हैं तो राशन कार्ड का

नम्बर लिखें और अगर फ़ीस के रूप में पोस्टल

ऑर्डर लगा रहे हैं तो पोस्टल ऑर्डर नम्बर लिखें।)

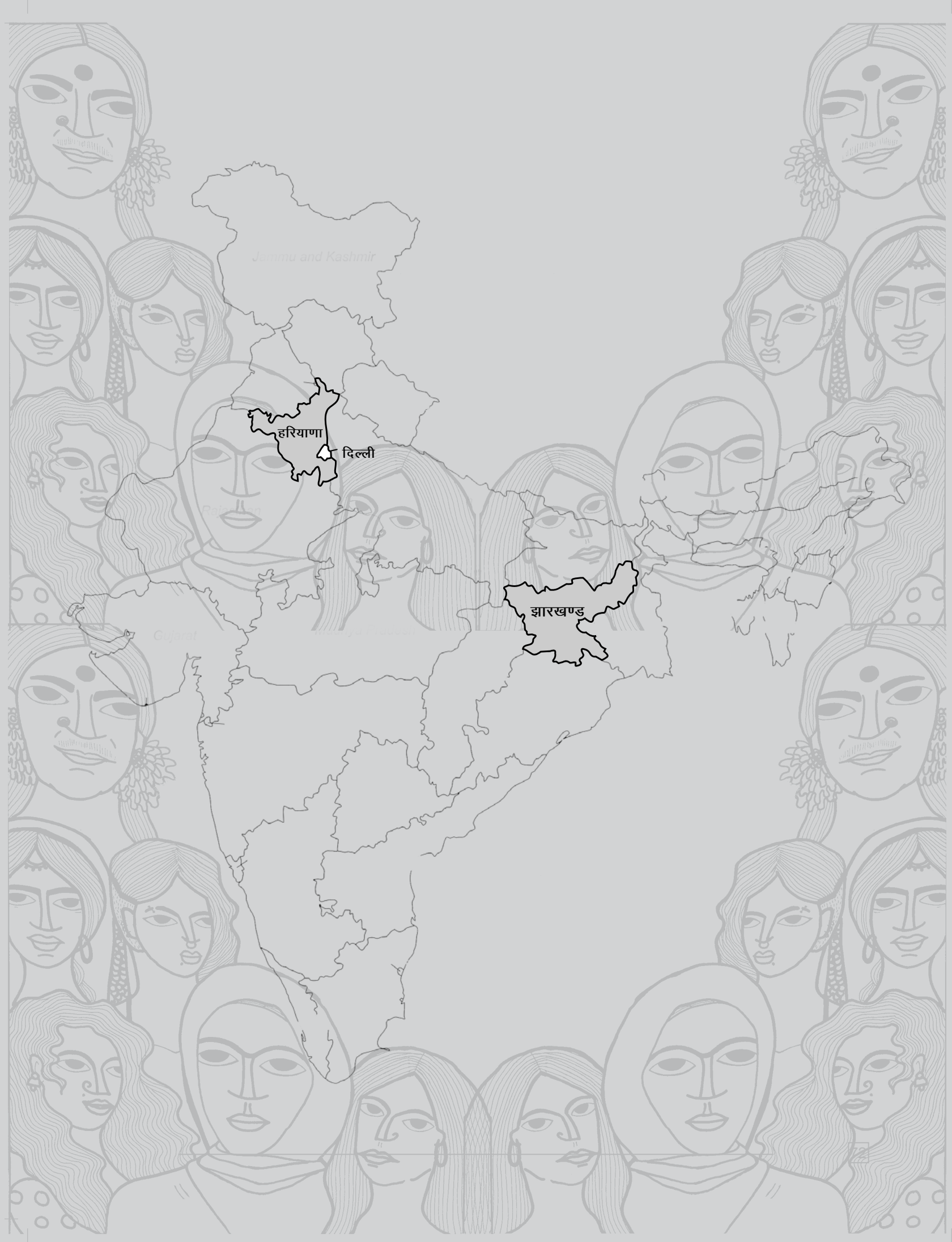
हरियाणा
दिल्ली
झारखण्ड